संख्या 141 /उद्यान–सेवा का अधिकार /2018–19

प्रेषक,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखण्ड,
उद्यान भवन, चौबटिया, रानीखेत।

सेवा में,

सचिव,
उद्यान,
उत्तराखण्ड शासन।

देहरादून, दिनांकः 25 अप्रैल, 2018

विषय– **सेवा का अधिकार अधिनियम–2011 के अन्तर्गत अधिसूचित किए जाने हेतु चिन्हित विभागीय सेवाओं का नागरिक अधिकार पत्र (Citizen Charter) उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक दिनांक 13.04.2018 को सचिव, सेवा का अधिकार आयोग एवं दिनांक 20.04.2018 को प्रमुख सचिव, सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा कीजिएगा, जिसमें उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की चिन्हित सेवाओं के नागरिक अधिकार पत्र (Citizen Charter) की सूचना तैयार कर शासन के संबंधित प्रशासकीय विभाग (उद्यान विभाग) के माध्यम से प्रमुख सचिव, सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के साथ–साथ सेवा का अधिकार आयोग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः उक्त निर्देशों के अनुपालन में सेवा का अधिकार अधिनियम–2011 के अन्तर्गत उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में अधिसूचित किए जाने हेतु नागरिक अधिकार पत्र का (Citizen Charter) आलेख संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त सूचना को शासन के माध्यम से प्रमुख सचिव, सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के साथ–साथ सचिव, सेवा का अधिकार आयोग को भी उपलब्ध कराने की कृपा कीजिएगा।

संलग्नः यथोपरि।

भवदीय,

(आर0सी0 श्रीवास्तव)
निदेशक

संख्या एवं दिनांकः तदैव।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अनु सचिव, सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा विभाग, उत्तराखण्ड शासन
2. सचिव, सेवा का अधिकार आयोग, देहरादून।

25/4/18

(आर0सी0 श्रीवास्तव)
निदेशक

नागरिक अधिकार पत्र

(Citizen Charter)

विभाग द्वारा नागरिको को उपलब्ध करायी जाने वाली सेंवाओं का विस्तृत विवरण

वर्ष : 2018—19

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,

उद्यान भवन, चौबटिया, रानीखेत
अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तराखण्ड

प्रस्तावना

उद्यान विभाग की स्थापना वर्ष 1953 में फलोपयोग विभाग के नाम से हुई थी जिसे बाद में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का नाम दिया गया। उत्तराखण्ड राज्य की जलवायु एवं भौगोलिक स्थिति विभिन्न प्रकार की औद्यानिक फसलों (फल, सब्जी, मसाला, पुष्प, मशरूम) के उत्पादन तथा मौनपालन हेतु अत्यधिक अनुकूल है। विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत औद्यानिक फसलों के विकास हेतु व्यापक प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल 53.48 लाख हैक्टेयर में से लगभग 7.01 लाख हैक्टेयर भू–भाग कृषि फसलों के अन्तर्गत है तथा औद्यानिकी के अन्तर्गत लगभग 2.83 लाख है0 क्षेत्र आच्छादित है। औद्यानिकी में लगभग 2.50 लाख कृषक जुड़े हुए है, जिसमें 88 प्रतिशत लघु एवं मझौलें कृषक है। राज्य में कुल 2.83 लाख है0 क्षेत्रफल में औद्यानिकी फसलें की जा रही है, जिसके अन्तर्गत लगभग 16.98 लाख मै0टन उत्पादन किया जा रहा है, जिसमें से फलों के अन्तर्गत 1.77 लाख है0 क्षेत्रफल में 6.63 लाख मै0टन उत्पादन, सब्जियों, आलू एवं मसालों के अन्तर्गत क्रमशः 0.65 लाख है0 में 5.85 लाख मै0टन, 0.26 लाख है0 में 3.60 लाख मै0टन तथा 0.13 लाख है0 में 0.88 लाख मै0टन उत्पादन किया जा रहा है। फूलों की खेती 1403 है0 में की जाती है, जिसमें लगभग 2073 मै0टन खुले पुष्प व 15.65 करोड़ डंडीयुक्त एवं बल्वयुक्त पुष्पों का उत्पादन किया जाता है। इसके साथ–साथ राज्य में लगभग 2200 मै0टन शहद का उत्पादन तथा लगभग 10,700 मै0टन मशरूम का उत्पादन किया जाता है।

राज्य की समृद्धि का मूल्यांकन वहां की जनता के स्वास्थ्य स्तर से किया जा सकता है जो भोजन की पोष्टिकता तथा सम्पूर्णता पर निर्भर है। फल तथा सब्जियॉ पौष्टिक तत्वों से भरपूर होने के साथ–साथ दैनिक आहार की पूर्ति करने में सहायक है। अतएव हमारे जीवन में इनका विशेष स्थान है। विभिन्न खाद्य पदार्थो की बढती कीमतों को देखते हुये औद्यानिक उत्पादन (फल, सब्जी, मशरूम, मसाला, पुष्प) और मधुमक्खी पालन तुलनात्मक दृष्टि से लाभदायक है। विभाग द्वारा राज्य की विशेष कृषि जलवायु के दृष्टिगत उपयोगी औद्यानिक तकनीकी का विकास एवं क्रियान्वयन पर जोर दिया जा रहा है।

दृष्टि (Vision)

1. औद्यानिक उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ मात्रात्मक एवं गुणात्मक रूप से राज्य का औद्यानिक उत्पादन बढ़ाना।
2. औद्यानिक फसलों तथा संबंधित कार्यकलापों से कृषि का विविधीकरण करते हुये ग्रामीण जनता को रोजगार के अवसर देना तथा आर्थिक उन्नति एवं सम्पन्नता को प्रोत्साहित करना।
3. स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त पर्यावरण सुनिश्चित कर ग्राम्य जीवन में गुणवत्ता युक्त सुधार लाना।

4. औद्यानिक व्यवसाय को महिलाओं द्वारा प्रबन्धन एवं भागीदारी के अनुरूप विकसित करना।
5. औद्यानिक उत्पादन वृद्धि कर प्रति व्यक्ति प्रति दिन संतुलित आहार उपलब्ध कराना।
6. निर्यातोन्मुखी उत्पादन को बढ़ावा देकर औद्यानिक फसलों का बाजार विकसित करना।
7. औद्यानिकी को जीविका के स्रोत और मुख्य व्यवसाय के रूप में विकसित करना जिससे प्रदेश से मानव पलायन को रोका जा सके।

उद्देश्य

1. प्रदेश में वैज्ञानिक एवं व्यवसायिक औद्यानिकी को बढ़ावा देना।
2. औद्यानिक फसलों की उत्पादकता, गुणवत्ता एवं संघनता में वृद्धि करना।
3. महिला कृषक आधारित औद्यानिक पद्धतियों का विकास एवं प्रसार।
4. औद्यानिक विकास को बढ़ावा देकर, बेरोजगार नवयुवकों का पलायन रोकना ।
5. औद्यानिक प्रणाली का विकास कर भूमि का सदुपयोग करना।
6. औद्यानिक फसलों को लाभदायक बनाने के लिये अधिक से अधिक स्थानीय प्रजातियों और तकनीकी का विकास कर आर्थिक स्तर में सुधार लाना।
7. औद्यानिकी क्षेत्र में शिक्षा, अनुसंधान एवं प्रसार क्षेत्र सुदृढीकरण।
8. औद्यानिकी आधारित लघु उद्योग को बढ़ावा देना।
9. औद्यानिकी उत्पादों के भण्डारण एवं प्रसंस्करण के लिये ढांचागत सुविधाओं का विकास।
10. औद्यानिकी उत्पादों के विपणन का सुदृढीकरण।
11. औद्यानिक फसलों में सिंचाई व्यवस्था हेतु श्रोतो का विकास।

औद्यानिक विकास के प्रमुख कार्य

(i) –फल उत्पादन

1. पुराने बागों का जीर्णोद्धार।
2. नई गुणवत्तायुक्त और अधिक उत्पादनशील किस्मों का रोपण।

3. प्रमुख व्यवसायिक फलों जैसे आम, लीची, माल्टा, संतरा, कीवी, आड़ू, खुबानी, बादाम, पीकननट, अखरोट, सेब, नाशपाती, आदि की बागवानी बड़े स्तर से की जायेगी। प्रत्येक बाग में अगेती, मध्यम व देर समय से पकने वाली किस्मों के अन्तर्गत क्षेत्रफल विस्तार किया जायेगा ताकि प्रसंस्करण उद्योगों को लम्बे समय तक फल प्राप्त हो सके।
4. सामान्य जनमानस की दैनिक फलों की आवश्यकता की पूर्ति के लिये गृह वाटिकाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
5. राज्य में फल वृक्षों की उन्नतशील किस्मों व मूलवृत्तों का प्रसारण प्राथमिकता के आधार पर कराया जा रहा है। उद्यान में अधिक मांग वाली किस्मों का रोपण किया जा रहा है। फल प्रजातियों की किस्मों का चयन ताजे फल उपयोग तथा प्रसंस्करण में उपयोग के आधार पर पृथक–पृथक किया गया है।
6. प्रत्येक फल वृक्ष की जलवायु, भूमि व ऊंचाई की आवश्यकतानुसार क्षेत्र चिन्हित करके नये बागों की स्थापना हेतु विशेष कार्यक्रम चलायें जा रहें है।
7. क्लस्टर आधारित विशेष फल वृक्षों के क्षेत्र विकसित किये जा रहे हैं।
8. प्रत्येक क्षेत्र में फल विशेष के तुड़ाई उपरान्त प्रबन्धन और तदुपरान्त आधुनिक फल भण्डारण की सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है।
9. प्रत्येक फल क्लस्टर में बाग सुरक्षा कार्यक्रमों को अनिवार्य बनाया जा रहा है।
10. विषाणु एवं जीवाणु रोगों से प्रभावित बागों को नष्ट किया जायेगा। दूसरे प्रदेशों से खराब किस्म के पौधे आयातित करने पर प्रतिबन्ध लगाया जायेगा।
11. पौधशालाओं में गुणवत्तायुक्त पौध उत्पादन किया जाता है। इसके लिए अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त पौधशालायें स्थापित की जा रही है जिसमें पौध प्रमाणीकरण व कीट/रोग परीक्षण की उचित व्यवस्था की जा रही है।
12. निजी व सरकारी पौधशालाओं को पौध प्रमाणीकरण (एकीडेटेशन)के अन्तर्गत लाया गया है। पौधशालाओं की स्थापना फल प्रजातिवार की जाएगी ।
13. फलों की सघन बागवानी पर बल दिया गया है। इसके लिए बौने मूलवृतों को चिन्हित कर उत्पादन पर बल दिया जा रहा है।
14. विभिन्न ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अल्प प्रचलित फलों के संरक्षण की समुचित व्यवस्था की जा रही है।
15. फलोंद्यानों के वैज्ञानिक प्रबंधन जैसे नमी संरक्षण, सिंचाई, पोषण, कांट छांट और संघाई आदि पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
16. जैविक बागवानी पर विशेष बल दिया जा रहा है
17. ओलावृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में एण्टीहेलनेट की सुविधा प्रदान कराई जाती है।
18. फल संरक्षण हेतु प्रत्येक फल क्लस्टर में निजी क्षेत्रों की प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना व विपणन हेतु मण्डियों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा।

19. अंसिचित क्षेत्रों में वर्षा जल को संरक्षित करने हेतु जल संरक्षण एवं उद्यानों में नमी संरक्षण के उपाय विकसित किये गये है। ड्रिप सिंचाई प्रणाली तथा स्प्रिंक्लर के प्रयोग पर अधिक बल दिया गया है।

(ii) –सब्जी और मसाला फसलें

1. सब्जी उत्पादकों को समय से पूर्व सब्जियों और मसालों के बीज उर्वरक, रसायनों एवं पौध सुरक्षा उपकरणों की व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है।
2. सब्जियों में आलू, टमाटर, बंदगोभी, फूलगोभी, मटर, शिमलामिर्च,प्याज ,लहसुन, मूली, गाजर, पालक,मेथी,फ्रासबीन आदि के उत्पादन पर विशेष बल दिया जायेगा। सब्जी उत्पादकों को उपर्युक्त सब्जियों की नवीन उन्नतशील/संकर किस्में उपलब्ध कराई जाती है। निर्यात के लिये यूरोपीय सब्जियों जैंसे ब्रौंकली, पार्सले, लेट्यूस, सेलरी, ब्रुसल्स स्प्राउट आदि के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
3. राजकीय प्रक्षेंत्रो एवं निजी क्षेत्र में कृषि जलवायु के अनुसार विभिन्न शीतोष्ण सब्जियों के बीज उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु राजकीय प्रक्षेत्रों पर सब्जी बीज उत्पादन कार्य किया जाता है तथा मुन्स्यारी में आलू फेडरेशन का गठन कर आलू उत्पादको को प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु प्रोत्साहित किया गया है।
4. फल क्लस्टरों की तरह मसाला एवं सब्जियों को क्लस्टर के रूप मे विकसित किया जा रहा है तथा पौध सुरक्षा की सामूहिक व्यवस्था उद्यान सचल दल केन्द्र के माध्यम से की जा रही है।
5. विभिन्न ऊंचाईयों, ढलान, दिशा को ध्यान में रखते हुए, किस्मों के चुनाव, किस्म विकास और उत्पादन तकनीक विकास पर बल दिया गया है।
6. बागों में अंतःशस्यन के लिये सब्जी /मसाला फसलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
7. कीट/रोग रोधी और निंजीव कारकों के लिये प्रतिरोधी किस्में को उगाने के प्रयास किये जा रहे है।
8. निर्यात हेतु गुणवत्तयुक्त सब्जी उत्पादन के लिये समेकित पादप पोषण प्रबन्धन और कीट रोग प्रबंधन पर विशेष बल दिया जा रहा है।
9. आलू उगाये जाने वाले क्षेत्रों में उन्नतकिस्म के बीज का आलू पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराये जाने हेतु राजकीय उद्यानों में बीज उत्पादन किया जा रहा है।
10. पाली हाउस तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है।

(iii) –पुष्प उत्पादन

1. पुष्पों की खेती के लिये उपर्युक्त क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। और प्रत्येक क्षेत्र के लिये उपर्युक्त फसल व उनकी किस्मों को चयन किया गया है। चार धाम यात्रा मार्गों पर इसकी विशेष मांग है, जिसमें धार्मिक स्थलों के पास परंपरागत फूलों की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
2. व्यवसायिक दृष्टि से लाभकारी पुष्पों जैंसे गुलाब, कारनेसन, टयूबरोज, जरबेरा, गेंदा, लिलियम, गुलदाउदी आदि के गुणवत्तायुक्त उत्पादन हेतु विशेष कार्यक्रम चलाये जा रहें है। निर्यात हेतु पुष्प उत्पादन के लिये अत्याधुनिक पॉलीहाउस स्थापना के लिये किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, और उन्हें मूलभूत सुविधायें प्रदान की जा रही है।
3. एक वर्षीय पुष्प पौंधों के बीज उत्पादन व प्रमाणीकरण का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
4. पुष्प सुखाने हेतु पुष्प उत्पादन व तकनीक प्रसार पर बल दिया गया है।
5. पुष्प उत्पादकों को गुणवत्तायुक्त पुष्प उत्पादन व तुड़ाई उपरान्त प्रबन्धन तकनीक का विकास किया जा रहा है।

(iv) –मशरूम उत्पादन

1. प्रत्येक क्षेत्र में पाई जाने वाली व्यवसायिक खाद्य मशरूम के उत्पादन का कार्य किया जाता है।
2. उच्च कोटि के उत्पादन और रोगरोधी मशरूम किस्मों का विकास किया जा रहा है।
3. कम्पोस्ट बनाने की तकनीक को विकसित किया गया है तथा कम्पोस्ट तैयार कर राजयहायता पर कृषकों को वितरित किया जा रहा है।
4. मशरूम की व्याधियों एवं कीटों के नियंत्रण के लिये समेकित प्रबन्धन का कार्य मशरूम शाखा द्वारा किया जाता है।
5. मशरूम फार्म डिजाइनिंग पर कार्य करने के उपरान्त मशरूम उत्पादकों को उत्पादन हेतु प्रोत्साहित किया गया है।
6. राज्य के गढ़वाल मण्डल के अन्तर्गत देहरादून तथा कुमायूँ मण्डल के अन्तर्गत ज्योलीकोट, नैनीताल में मशरूम प्रशिक्षण केन्द्रों की व्यवस्था पूर्व से है।
7. निर्यात आधारित औद्यानिक इकाईयां स्थापित करने हेतु तकनीक व राजसहायता की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है।

(v) –मौनपालन

1. राज्य में मौनपालन विकास हेतु एक मौन पालन केन्द्र ज्योलीकोट, नैनीताल में स्थापित है तथा एक सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स का प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया है।
2. सामान्य या अधिक तापमान वालें क्षेत्रों में विदेशी प्रजाति एपिस मेलाफेरा तथा ठण्डे क्षेत्रों में भारतीय मौन एपिस सिराना इन्डिका को पाला जाता है।

3. मधु उत्पादन बढ़ाने हेतु प्रत्येक मौन जाति के लिये उसके प्रिय पुष्प पादप को चिन्हित करके रोपित किया जायेगा।
4. सामान्य रूप से प्रयोग किये जाने वाले कीटनाशी रसायनों के प्रति प्रत्येक मौन प्रजाति की संवेदनशीलता तथा उनसे सुरक्षा के उपाय का अध्ययन किया जा रहा है
5. विभिन्न मधुमक्खी उत्पादों के उचित मूल्य पर प्रसंस्करण एवं विपणन हेतु संस्थागत व्यवस्था एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

(vi) – बीज एवं पौध उत्पादन

1. उत्तराखण्ड में औद्यानिक फसलों के महत्व को देखते हुए श्रेष्ठ गुणवत्तायुक्त उन्नत किस्म के बीज/पौध विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और उनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
2. बीज उत्पादन योजना बनाकर कियान्वित की जायेगी।
3. प्रजनक तथा आधारित बीज की आवश्यकता पूरी करने हेतु पर्वतीय क्षेत्रों की सब्जियों और फूलों के बीज उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
4. उन्नत किस्म के बीजोत्पादन एवं उनके निर्यात की सम्भावनाओं पर योजना बनाकर कियान्वयन किया जायेगा।
5. निजी क्षेत्र में नर्सरी स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है।
6. परपरागित किस्मों के बीजों का उत्पादन, बीज ग्राम योजना संचालित करके किया जायेगा।

(vii) – सिंचाई सुविधाओं का विकास

1. पर्वतीय क्षेत्रों में राज सहायता के माध्यम से रेनवाटर हार्वेस्टिंग टैंक की सुविधा विकसित की जा रही है।
2. औद्यानिकी के अन्तर्गत टपक सिंचाई और छिड़काव सिंचाई प्रणाली को विकसित किया जा रहा है।
3. पहाड़ी क्षेत्र में नदियों से जल पम्प करके पाइपों द्वारा फसल सिंचाई हेतु उपलब्ध कराने के प्रयास किये जा रहे है।
4. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में "पर ड्रोप मोर क्राप" के अन्तर्गत सिंचाई तन्त्र, वाटर सोर्स सुधारे जायेंगे तथा प्रत्येक उद्यान में टपक सिंचाई का माडल तैयार किया जायेगा।

(viii) –प्राथमिकतायें

आर्थिक उदारीकरण, वैश्वीकरण एवं विश्व व्यापार संगठन के वर्तमान एवं भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए उत्तराखण्ड की औद्यानिक गतिविधियों को अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के प्रयास तीव्र किये जायेंगे। इस हेतु निम्न लिखित को प्राथमिकता दी जा रही है।

1. निर्यात योग्य सभी उत्पादों की उत्पादकता, प्रसंस्करण एवं विपणन हेतु संस्थागत उपायों जैसे– सड़को, भंडारगृह, छोटी बड़ी औद्यानिक इकाईयों को प्राथमिकता के आधार पर निर्माण एवं विस्तार किया जा रहा है।
2. छोटे–छोटे कृषकों को उनके उत्पाद का अधिक मूल्य प्राप्त हो सके तथा विश्व व्यापार के लाभों के भागीदार बन सकें, इसके लिये इन छोटे उत्पादकों की निर्यातक सहकारी समितियों/स्वंय सहायता समूह के रूप में पंजीकृत संगठनों में संगठित कर इन्हें आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराई जायेगी।
3. विशेष फलों, फूलों, औषधीय एवं संगध पौधो, सब्जी और मसाला आदि जो विश्व व्यापर हेतु उपयुक्त हो, को चिन्हित कर उनके विकास पर विशेष बल दिया जायेगा जिससे उन्हें विश्व व्यापार में लाया जा सके। निर्यात हेतु औद्यानिक उत्पादन की गुणवत्ता सुनिश्चित करना उच्च प्राथमिकता होगी जिसके लिए जैव औद्यानिक तकनीक की संभावनाओं पर शोध किया जायेगा।
4. जैविक औद्यानिकी हेतु उपर्युक्त फसलों का चुनाव एवं उनके प्रचार–प्रसार की विस्तृत योजना बनाकर कियान्वित किया जायेगा।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा नागरिकों को उपलब्ध कराये जाने वाली सेवाओं का विस्तृत विवरण:-

क0 स0	नागरिकों को उपलब्ध कराये जाने वाली सेवा	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय सीमा	पदाभिहित अधिकारी का नाम	प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम	द्वितीय अपीलीय अधिकारी का नाम
1.	नवीन उद्यान कार्ड जारी कराना	पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के 15 दिन के अन्तर्गत प्रभारी उद्यान सचल दल केन्द्र द्वारा मुख्य उद्यान अधिकारी/जिला उद्यान अधिकारी से स्वीकृत कराने के उपरान्त जारी किया जायेगा।	संबंधित जनपद के मुख्य उद्यान अधिकारी/जिला उद्यान अधिकारी	संबंधित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी	संबंधित जनपद के जिलाधिकारी
2.	पुराने उद्यान कार्ड का नवीनीकरण	पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के 15 दिन के अन्तर्गत मुख्य उद्यान अधिकारी/जिला उद्यान अधिकारी द्वारा स्वीकृत कराने के उपरान्त जारी किया जायेगा।	संबंधित जनपद के मुख्य उद्यान अधिकारी/जिला उद्यान अधिकारी	संबंधित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी	संबंधित जनपद के जिलाधिकारी
3.	पौधशाला पंजीकरण	पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के 60 दिन के अन्तर्गत मुख्य उद्यान अधिकारी/जिला उद्यान अधिकारी द्वारा स्वीकृति उपरान्त जारी किया जायेगा।	संबंधित जनपद के मुख्य उद्यान अधिकारी/जिला उद्यान अधिकारी	संबंधित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी	संबंधित जनपद के जिलाधिकारी
4.	पुरानी पंजीकृत पौधशालाओं का नवीनीकरण	पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के 60 दिन के अन्तर्गत मुख्य उद्यान अधिकारी/जिला उद्यान अधिकारी द्वारा स्वीकृति उपरान्त जारी किया जायेगा।	संबंधित जनपद के मुख्य उद्यान अधिकारी/जिला उद्यान अधिकारी	संबंधित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी	संबंधित जनपद के जिलाधिकारी
5.	कोल्ड स्टोरेज का पंजीकरण/नवीनीकरण	पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के 30 दिन के मुख्य उद्यान अधिकारी/जिला उद्यान अधिकारी द्वारा उद्यान निदेशालय को प्रेषित किया जायेगा।	संबंधित जनपद के मुख्य उद्यान अधिकारी/जिला उद्यान अधिकारी	अपर निदेशक, उद्यान, मुख्यालय	निदेशक, उद्यान
6.	कृषि भूमि में फलदार वृक्षों के पातन का अनापत्ति प्रमाण पत्र	पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के 15 दिन के अन्तर्गत प्रभारी उद्यान सचल दल केन्द्र द्वारा मुख्य उद्यान अधिकारी/जिला उद्यान अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर जारी किया जायेगा।	संबंधित जनपद के मुख्य उद्यान अधिकारी/जिला उद्यान अधिकारी	संबंधित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी	संबंधित जनपद के जिलाधिकारी
7.	वर्षाकालीन फल पौध उपलब्ध कराना।	पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के 60 दिन के अन्दर (जुलाई से अगस्त) वर्षाकालीन फल पौध मुख्य उद्यान अधिकारी/जिला उद्यान अधिकारी से स्वीकृत कराकर कृषकों को उपलब्ध करायी जायेगी।	संबंधित जनपद के मुख्य उद्यान अधिकारी/जिला उद्यान अधिकारी	संबंधित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी	संबंधित जनपद के जिलाधिकारी
8.	शीतकालीन फल पौध उपलब्ध कराना।	पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के 60 दिन के अन्दर (दिसम्बर से जनवरी) शीतकालीन फल पौध मुख्य उद्यान अधिकारी/जिला उद्यान अधिकारी से स्वीकृत कराकर कृषकों को उपलब्ध करायी जायेगी।	संबंधित जनपद के मुख्य उद्यान अधिकारी/जिला उद्यान अधिकारी	संबंधित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी	संबंधित जनपद के जिलाधिकारी

9.	सब्जी बीज उपलब्ध कराना	पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के 60 दिन के अन्तर्गत (खरीफ–मई से जून, रबी–सितम्बर से अक्टूबर, जायद–फरवरी से मार्च) मुख्य उद्यान अधिकारी/जिला उद्यान अधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर सब्जी बीज कृषकों को उपलब्ध करायी जायेगी।	संबंधित जनपद के मुख्य उद्यान अधिकारी/जिला उद्यान अधिकारी	संबंधित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी	संबंधित जनपद के जिलाधिकारी
10.	सब्जी पौध उपलब्ध कराना	पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के 60 दिन के अन्तर्गत (मौसम के अनुसार) मुख्य उद्यान अधिकारी/जिला उद्यान अधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर पौंध कृषकों को उपलब्ध करायी जायेगी।	संबंधित जनपद के मुख्य उद्यान अधिकारी/जिला उद्यान अधिकारी	संबंधित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी	संबंधित जनपद के जिलाधिकारी
11.	पुष्प बीज/कन्द/पौंध उपलब्ध कराना	पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के 60 दिन (मौसम के अनुसार) के अन्तर्गत प्रभारी उद्यान सचल दल केन्द्र द्वारा मुख्य उद्यान अधिकारी/जिला उद्यान अधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर पौंध कृषकों को उपलब्ध करायी जायेगी।	संबंधित जनपद के मुख्य उद्यान अधिकारी/जिला उद्यान अधिकारी	संबंधित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी	संबंधित जनपद के जिलाधिकारी
12.	रसायन/औद्यानिक संयत्र/कोरोगेटेड बाक्स/रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक उपलब्ध कराना	पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के 60 दिन के अन्तर्गत मुख्य उद्यान अधिकारी/जिला उद्यान अधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर निवेश उपलब्ध करायें जायेंगें।	संबंधित जनपद के मुख्य उद्यान अधिकारी/जिला उद्यान अधिकारी	संबंधित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी	संबंधित जनपद के जिलाधिकारी
13.	घेरबाड़ की योजना	पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के 30 दिन के अन्तर्गत निर्माण हेतु मुख्य उद्यान अधिकारी/जिला उद्यान अधिकारी द्वारा स्वीकृति जारी की जायेगी।	संबंधित जनपद के मुख्य उद्यान अधिकारी/जिला उद्यान अधिकारी	संबंधित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी	संबंधित जनपद के जिलाधिकारी
14.	खाद्य प्रसंस्करण में एक वर्षीय डिप्लोमा	पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त संबंधित अभ्यर्थी को 30 दिन के अन्तर्गत पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्ह/अनर्ह पाये जाने की सूचना/स्वीकृति संबंधित केन्द्र के प्रधानाचार्य द्वारा जारी की जायेगी।	प्रधानाचार्य, खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र, रामनगर, नैनीताल/कोटद्वार, पौड़ी	संबंधित मण्डल के संयुक्त निदेशक, उद्यान	निदेशक, उद्यान
15.	मौनपालन प्रशिक्षण	पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त संबंधित अभ्यर्थी को 45 दिन के अन्तर्गत प्रशिक्षण हेतु अर्ह/अनर्ह पाये जाने की सूचना/स्वीकृति प्रदेशीय मौन विशेषज्ञ, ज्योलीकोट, नैनीताल/मुख्य उद्यान अधिकारी/जिला उद्यान अधिकारी द्वारा जारी की जायेगी।	प्रदेशीय मौन विशेषज्ञ, ज्योलीकोट, नैनीताल	संबंधित मण्डल के संयुक्त निदेशक, उद्यान	निदेशक, उद्यान
16.	मौनवंश/मौनबाक्स उपलब्ध कराना	पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त संबंधित लाभार्थी को 45 दिन के अन्तर्गत मौनवंश/मौनबाक्स उपलब्ध कराने में प्रवेश हेतु अर्ह/अनर्ह पाये जाने की सूचना स्वीकृति प्रदेशीय मौन विशेषज्ञ, ज्योलीकोट, नैनीताल/मुख्य उद्यान अधिकारी/जिला उद्यान अधिकारी द्वारा जारी की जायेगी।	प्रदेशीय मौन विशेषज्ञ, ज्योलीकोट, नैनीताल	संबंधित मण्डल के संयुक्त निदेशक, उद्यान	निदेशक, उद्यान

17.	माली प्रशिक्षण	पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त संबंधित अभ्यर्थी को 60 दिन के अन्तर्गत परीक्षा के आधार पर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्ह/अनर्ह पाये जाने की सूचना/स्वीकृति उद्यान निदेशालय द्वारा जारी की जायेगी।	उपनिदेशक, मुख्यालय।	अपर निदेशक, मुख्यालय	निदेशक, उद्यान
18.	मशरूम प्रशिक्षण	पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त संबंधित अभ्यर्थी को 60 दिन के अन्तर्गत प्रशिक्षण हेतु सूचित किया जायेगा।	मुख्य मशरुम विकास अधिकारी, ज्योलीकोट, नैनीताल/देहरादून	संबंधित मण्डल के संयुक्त निदेशक, उद्यान	निदेशक, उद्यान
19.	पाश्चुराईज्ड कम्पोस्ट एवं स्पान उपलब्ध कराना।	पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के 60 दिन के अन्तर्गत प्रभारी उद्यान सचल दल केन्द्र/प्रभारी कम्पोस्ट यूनिट /मशरुम कार्यालय ज्योलीकोट, नैनीताल/देहरादून द्वारा स्वीकृति उपरान्त उपलब्ध कराया जायेगा।	मुख्य मशरुम विकास अधिकारी, ज्योलीकोट, नैनीताल/देहरादून	संबंधित मण्डल के संयुक्त निदेशक, उद्यान	निदेशक, उद्यान
20.	मसाला बीज/कन्द उपलब्ध कराना	पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के 60 दिन (मौस्म के अनुसार) के अन्तर्गत प्रभारी उद्यान सचल दल केन्द्र द्वारा स्वीकृत कराकर बीज कृषकों को उपलब्ध करायी जायेगी।	संबंधित जनपद के मुख्य उद्यान अधिकारी/ जिला उद्यान अधिकारी	संबंधित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी	संबंधित जनपद के जिलाधिकारी
21.	सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली	पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के 60 दिन के अन्तर्गत मुख्य उद्यान अधिकारी/जिला उद्यान अधिकारी द्वारा वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष बजट उपलब्धता के आधार पर स्वीकृति पत्र जारी किया जायेगा।	संबंधित जनपद के मुख्य उद्यान अधिकारी/ जिला उद्यान अधिकारी	नोडल अधिकारी, सूक्ष्य सिंचाई मिशन	निदेशक, उद्यान
22.	ट्यूबैल/बोर बैल की स्थापना	पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के 45 दिन के अन्तर्गत मुख्य उद्यान अधिकारी/जिला उद्यान अधिकारी द्वारा वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष बजट उपलब्धता के आधार पर स्वीकृति पत्र जारी किया जायेगा।	संबंधित जनपद के मुख्य उद्यान अधिकारी/ जिला उद्यान अधिकारी	संबंधित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी	संबंधित जनपद के जिलाधिकारी
23.	पुराने उद्यानों का जीर्णोद्धार	पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के 45 दिन के अन्तर्गत मुख्य उद्यान अधिकारी/जिला उद्यान अधिकारी द्वारा वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष बजट उपलब्धता के आधार पर स्वीकृति पत्र जारी किया जायेगा।	संबंधित जनपद के मुख्य उद्यान अधिकारी/ जिला उद्यान अधिकारी	संबंधित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी	संबंधित जनपद के जिलाधिकारी
24.	पालीहाउस स्थापना	पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के 45 दिन के अन्तर्गत मुख्य उद्यान अधिकारी/जिला उद्यान अधिकारी द्वारा वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष बजट उपलब्धता के आधार पर स्वीकृति पत्र जारी किया जायेगा।	संबंधित जनपद के मुख्य उद्यान अधिकारी/ जिला उद्यान अधिकारी	संबंधित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी	संबंधित जनपद के जिलाधिकारी
25.	वर्मी कम्पोस्ट हकाई स्थापना	पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के 45 दिन के अन्तर्गत मुख्य उद्यान अधिकारी/जिला उद्यान अधिकारी द्वारा वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष बजट उपलब्धता के आधार पर स्वीकृति पत्र जारी किया जायेगा।	संबंधित जनपद के मुख्य उद्यान अधिकारी/ जिला उद्यान अधिकारी	संबंधित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी	संबंधित जनपद के जिलाधिकारी

26.	पैक हाउस	पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के 90 दिन के अन्तर्गत मुख्य उद्यान अधिकारी/जिला उद्यान अधिकारी द्वारा संबंधित वर्ष में वार्षिक कार्ययोजना के अनुसार लक्ष्यों के सापेक्ष बजट उपलब्धता के आधार पर निदेशक, बागवानी मिशन से स्वीकृति उपरान्त जारी किया जायेगा।	संबंधित जनपद के मुख्य उद्यान अधिकारी/ जिला उद्यान अधिकारी	निदेशक, बागवानी मिशन	निदेशक, उद्यान
27.	तृड़ाई उपरान्त प्रबन्धन एवं विपणन हेतु अवस्थापना सुविधाओं का सृजन	पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के 90 दिन के अन्तर्गत निदेशक बागवानी मिशन द्वारा शासन स्तर पर राज्य स्तरीय कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।	निदेशक, बागवानी मिशन	निदेशक, उद्यान	सचिव, उद्यान
28.	खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना	पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के 90 दिन के अन्तर्गत निदेशक बागवानी मिशन द्वारा शासन स्तर पर राज्य स्तरीय कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।	निदेशक, बागवानी मिशन	निदेशक, उद्यान	सचिव, उद्यान

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,उत्तराखण्ड
निदेशालय/मण्डलीय एवं जनपद अधिकारियों के सम्पर्क सूत्र

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	फोन कार्यालय	मोबाईल
1	श्री आर0सी0श्रीवास्तव	निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण	05966-222792	9412997772
		संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक		
2	डा0 आर0के0सिंह,	संयुक्त निदेशक मुख्यालय रानीखेत	05966-220260	9410133552
3	डा0 अजय कुमार यादव	संयुक्त निदेशक, उद्यान, कुमाऊ मण्डल, नैनीताल	05942-221288	9557136661
4	डा0रतन कुमार	संयुक्त निदेशक, उद्यान, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी	01368-222227	9412436207
5	श्री उमाशंकर सिंह	उप निदेशक सांख्यिकी मुख्यालय, रानीखेत	05966-220260	9412908356
6	डा0 बृजेश कुमार गुप्ता	उप निदेशक, औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र काशीपुर	05949-262745	9412124358
7	श्री रतन सिंह चौधरी	उप निदेशक, औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र श्रीनगर		9412486754
		मुख्य/जिला उद्यान अधिकारी/उद्यान विशेषज्ञ		
8	श्री इन्द्रपाल सिंह कुशवाहा	मुख्य उद्यान अधिकारी, हरिद्वार	01334-239062	9412436207
9	डा0रामेश्वर सिंह	मुख्य उद्यान अधिकारी, उधमसिंहनगर	05949-250447	9456196547
10	श्री हितपाल सिंह	मुख्य उद्यान अधिकारी, अल्मोड़ा	01334-239062	9412045285
11	कु0 मीनाक्षी जोशी	जिला उद्यान अधिकारी, पिथौरागढ़	05962-230082	8192939276
12	श्री एन0के0आर्या	जिला उद्यान अधिकारी, चम्पावत	05965-230765	9837936986
13	श्री तेजपाल सिंह	जिला उद्यान अधिकारी, बागेश्वर	05963-221336	9410378184 8449596004
14	डा0नरेन्द्र कुमार	जिला उद्यान अधिकारी, पौड़ी	01368-222524	9412407032
15	श्री संजय श्रीवास्तव	मुख्य उद्यान अधिकारी, देहरादून	0135-2711530	8859959593
16	डा0 डी0के0 तिवारी	जिला उद्यान अधिकारी, टिहरी	01376-232156	9412027820
17	श्री राकेश तेबतिया	मुख्य उद्यान अधिकारी,उत्तरकाशी	01374-222143	9411135509
18	श्री योगेन्द्र चौधरी	जिला उद्यान अधिकारी, रूद्रप्रयाग	01364-233416	9411790937
19	श्री नरेन्द्र कुमार यादव	मुख्य उद्यान अधिकारी, चमोली	01372-253635	9412088404
20	डा0 शम्भू नाथ मिश्रा	उद्यान विशेषज्ञ कोटद्वार	01382-225336	9411171312
21	श्री चन्द्र प्रकाश पाठक	प्रोजेक्ट कोर्डिनेटर मशरूम ज्योलीकोट, नैनीताल	05942-224016	9690083118
22	डा0 संजय कमल	मशरूम विकास अधिकारी, देहरादून	0135-224016	9412952919
23	श्री हरीश चन्द्र तिवाड़ी	प्रदेशीय मौन विशेषज्ञ, ज्योलीकोट, नैनीताल	05942-224113	9412436222
24	श्री वी0पी0 सेंगर	प्रधानाचार्य, राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र, कोटद्वार	01382-225292	9412963228
25	श्री एस0सी0 त्यागी	प्रधानाचार्य, राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र, रामनगर	05947-251124	9410128638

अति आवृतक प्रश्न (Frequently Asked Question)

1–उद्यान विभाग के अन्तर्गत अनुदान की कौन–कौन सी योजनांए संचालित की जा रही है?

उत्तर–सभी योजनायें व राजसहायता फ्लैक्सी बोर्ड पर अंकित है एवं योजनाओं की जानकारी हेतु विभागीय योजनाओं का पम्पलेट भी उपलब्ध है। योजनाओं का विवरण **www.shm.uk.gov.in** पर भी उपलब्ध है।

2–विभागीय योजना में बाग लगाने हेतु क्या–क्या प्रपत्र जमा करने होगें?

उत्तर– सर्व प्रथम उद्यान कार्ड बनाया जायेगा जिसमें कुल भूमि उद्यान के अन्तर्गत क्षेत्रफल, सब्जी के अन्तर्गत क्षेत्रफल, पुष्प के अन्तर्गत क्षे0, मसाला, वर्मी कम्पोस्ट, मशरूम आदि की समस्त जानकारी अंकित की जायेगी। पासपोर्ट साइज का फोटो व आधार कार्ड, भूमि की खतौनी जमा की जायेगी।

इसी उद्यान कार्ड व आधार कार्ड, खतौनी व पासपोर्ट साइज की फोटो सम्बन्धित आवेदन पत्र के साथ जमा करनी होती है प्रथम आवक प्रथम पावक के आधार पर चयन के उपरान्त योजना का लाभ मिलेगा।

3–अन्य योजनाएँ क्या–क्या है?

उत्तर–1. मेकेनाइजेशन (कृषि यन्त्रीकरण) की योजना है। जिसमें पावर स्प्रेयर, पावर ट्रिलार, 20 HP तक के ट्रैक्टर पर अनुदान है।

1. जल स्रोतो का सृजन (ट्यूबवैल) लगाने पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है जिसकी अधिकतम सीमा रू0 75000.00 प्रति इकाई है एवं 25 प्रतिशत राज्यांश रू0 25000.00 कुल रू0 100000.00 (रू0 एक लाख मात्र)।
2. पॉली हाउस निर्माण– 500 वर्ग मीटर तक के पॉली हाउस स्थापना हेतु 80 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है इससे अधिक आकार के पालीहाउस स्थापना हेतु 50 प्रतिशत अनुदान देय है।
3. क्षेत्रफल विस्तार– में फल के साथ–साथ सब्जी पुष्प, मसाला की खेती करने पर भी अनुदान देय।

4– कृषक (लाभार्थी) के चयन का आधार क्या है?

उत्तर–आवेदन फार्म पूर्ण भरकर सभी प्रपत्रों सहित दिनांक डालकर प्राप्त किया जाता है।

केन्द्र के प्रभारी की संस्तुति उपरान्त आवेदन मुख्य उद्यान अधिकारी कार्यालय भेजा जायेगा वहां पर भी वही प्रक्रिया अपनायी जायेगी व पंजिका में आरक्षित रखी जायेगी।

वरिष्ठता के क्रमानुसार स्वीकृति जारी होने पर लाभार्थी का फाइनल चयन कर योजना का कियान्वयन किया जायेगा।

लाभार्थियों का चयन वरिष्ठता के कम में बजट की उपलब्धता के अनुसार होता रहेगा।

5–ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई पर कितनी राजसहायता है?

उत्तर– क्षेत्रफल व फसल की दूरी के अनुसार राजसहायता अनुमन्य है। जिसमें कुल लागत की 55 प्रतिशत राजसहायता लघु/सीमान्त कृषक को देय है। सामान्य कृषकों कों 45 प्रतिशत राजसहायता देय है। अधिकतम 05 हैक्टर क्षेत्रफल तक देय है।

आवेदन प्रारुपों का विवरण

सभी योजनायें व राजसहायता फ्लैक्सी बोर्ड पर अंकित है एवं योजनाओं की जानकारी हेतु विभागीय योजनाओं का पम्पलेट भी उपलब्ध है। योजनाओं का विवरण **www.shm.uk.gov.in** पर भी उपलब्ध है।

नमूना प्रारुप संलग्न है।

निदेशक उद्यान / (महेश पाल) / (डा० रतन कुमार) संयुक्त निदेशक

राज्य बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड

जनपद .....

जि0उ0अ0 कार्यालय की पंजीकरण पंजिका के अनुसार क्रमांक एवं दिनांक .....

उद्यान कार्ड संख्या .....

बागवानी मिशन के अन्तर्गत विभिन्न औद्यानिक फसलों–फल, सब्जी, मसाला, पुष्प, सगन्ध पौध एवं मशरूम क्षेत्रफल विस्तार (Area Expansion of fruits, vegetables, spices, flowers, aromatic plant and Mushrooms) के लिये आवेदन हेतु प्रारूप–B2

आवेदक का उ0स0द0के0 प्रभारी द्वारा प्रमाणित नवीनतम फोटोग्राफ (Attested by Mobile team incharge recent photograph of farmer)

1. लाभार्थी का नाम (Name of Beneficiary) : .....

2. पिता / पति का नाम (Father/Husband Name) : .....

3. लाभार्थी का पता Beneficiary address
   - गॉव का नाम Village Name : .....
   - डाकखाना (Post Office) : .....
   - विकासखण्ड (Block) : .....
   - जनपद (District) : .....
   - मोबाईल / टेलीफोन (Mobile / Telephone) : .....

4. लाभार्थी की श्रेणी (Beneficiary Category)
   - सामान्य वर्ग (General) ☐
   - पिछडा वर्ग (Backward) ☐
   - अनुसूचित जाति (SC) ☐
   - अनुसूचित जनजाति (ST) ☐

5. कृषक श्रेणी (Farmer Category)
   - अ) लघु / सीमान्त (Small/Margional) ☐
   - बडे किसान (Big farmer) ☐
   - ब) पुरूष (Male) ☐
   - महिला (Female) ☐

6. क्षेत्र (Area)
   - पर्वतीय (Hill) ☐
   - मैदानी (Plain) ☐

7. लाभार्थी की शैक्षिक योग्यता (Beneficiary education qualification)
   - नॉन मैट्रिक (Non Metric) ☐
   - 12वीं (Intermediate) ☐
   - मैट्रिक (Metric) ☐
   - स्नातक (Graduate) ☐

8. लाभार्थी के नाम कुल कृषि योग्य भूमि (जो राजस्व अभिलेखों में उसके स्वंय के नाम दर्ज हो) ..... है0
   - बागवानी फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल ..... है0

9. प्रस्तावित कार्य के लिये चयनित भूमि का खसरा संख्या क्षेत्रफल सहित (क्षे0 है0 में) .....
   - सिंचाई की उपलब्ध सुविधायें Irrigation facilities ☐

10. प्रस्तावित कार्यक्रम (Proposed programme)

1) अधिक लागत वाली फसल क्षेत्रफल विस्तार – (Cost intensive fruit crops area expansion) अधिकतम 04 है0 प्रति लाभार्थी

a) अंगूर, कीवी फल क्षेत्रफल विस्तार – (Grape, Kiwi fruit etc. area expansion)

i) सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली रहित (Without integraion) - Assistance @ 50% of cost i.e. maximum of Rs 62,500/ha for meeting the expenditure on planting material and cost of INM/IPM, in 3 installments of 60:20:20 (1st year Rs 37,500/ha and Rs 12,500/ha in 2nd ye

फसल (Crop Name) _____

क्षेत्रफल (Area) _____ है0

ii) सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली सहित (With drip irrigation and trellies) - Assistance @ 50% of cost i.e. maximum of Rs 2,00,000/ha for meeting the expenditure on planting material and cost of material for drip irrigation, trellies and INM/IPM, in 3 installments

फसल (Crop Name) _____

क्षेत्रफल (Area) _____ है0

b) स्ट्राबरी क्षेत्रफल विस्तार – (Strawberry area expansion)

i) सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली रहित (Without integraion) - Assistance @ 50% of cost i.e. maximum of Rs 62,500/ha for meeting the expenditure on planting material and cost of INM/IPM one installment.

फसल (Crop Name) _____

क्षेत्रफल (Area) _____ है0

ii) सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली सहित (Integrated package with drip irrigation and mulching) - Assistance @ 50% of cost i.e. maximum of Rs 1,40,000/ha for meeting the expenditure on planting material and cost of material for drip irrigation, mulching and INM/IPM,

फसल (Crop Name) _____

क्षेत्रफल (Area) _____ है0

c) बनाना (सकर) क्षेत्रफल विस्तार – (Banana (sucker) area expansion)

i) सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली रहित (Without integraion) - Assistance @ 50% of cost i.e. maximum of Rs 43,750/ha for meeting the expenditure on planting material and cost of INM/IPM in 2 installments 75:25 (1st year Rs 32,812.50/ha and 2nd year Rs 10,937.50/ha).

फसल (Crop Name) _____

क्षेत्रफल (Area) _____ है0

ii) सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली सहित (Integrated package with drip irrigation) - Assistance @ 50% of cost i.e. maximum of Rs. 1,00,000/ha for meeting the expenditure on planting material and cost of material for drip irrigation, and INM/IPM, in two installments

फसल (Crop Name) _____

क्षेत्रफल (Area) _____ है0

d) बनाना (टी0सी0) क्षेत्रफल विस्तार – (Banana (TC) area expansion)

i) सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली रहित (Without integraion) - Assistance @ 50% of cost i.e. maximum of Rs 62,500/ha for meeting the expenditure on planting material and cost of INM/IPM in 2 installments 75:25 (1st year Rs 46,875/ha and 2nd year Rs 15,625/ha).

फसल (Crop Name) _____

क्षेत्रफल (Area) _____ है0

ii) सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली सहित (Integrated package with drip irrigation) - Assistance @ 50% of cost i.e. maximum of Rs 1,50,000/ha for meeting the expenditure on planting material and cost of material for drip system and INM/IPM, in two installments 75:25

फसल (Crop Name) _____

क्षेत्रफल (Area) _____ है0

e) पपीता क्षेत्रफल विस्तार – (Papaya area expansion)

i) सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली रहित (Without integraion) - Assistance @ 50% of cost i.e. maximum of Rs 30,000/ha for meeting the expenditure on planting material and cost of INM/IPM in 2 installments 75:25 (1st year Rs 22,500/ha and 2nd year Rs 7,500/ha).

फसल (Crop Name) _____

क्षेत्रफल (Area) _____ है0

ii) सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली सहित (Integrated package with drip irrigation) - Assistance @ 50% of cost i.e. maximum of Rs. 1,00,000/ha for meeting the expenditure on planting material, drip irrigation and cost of material for INM/IPM, in two installments 75:2

फसल (Crop Name) _____

क्षेत्रफल (Area) _____ है0

f) अति उच्च घनत्व वाले फल क्षेत्रफल विस्तार – (Ultra high density - Meadow orchard area expansion)

i) सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली रहित (Without integraion) - Assistance @ 50% of cost i.e. maximum of Rs 62,500/ha for meeting the expenditure on planting material and cost of INM/IPM in 3 installments 60:20:20 (1st year Rs 37,500/ha and Rs 12,500/ha in

फसल (Crop Name) _____

expenditure on planting material and cost of INM/IPM in 3 installments 60:20:20 (1st year Rs 37,500/ha and Rs 12,500/ha in 2nd year &

क्षेत्रफल (Area) है0

ii) सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली सहित (Integrated package with drip irrigation) - Assistance @ 50% of cost i.e. maximum of Rs 1,00,000/ha for meeting the expenditure on planting material and cost of material for drip system, INM/IPM and canopy management in 3 ins

फसल (Crop Name)

क्षेत्रफल (Area) है0

g) सघन फल क्षेत्रफल विस्तार — (High density fruit plantation - Mango, Guava, Litchi, Pomegranate, Apple, Citrus etc.)

i) सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली रहित (Without integraion) - Assistance @ 50% of cost i.e. maximum of Rs 50,000/ha for meeting the expenditure on planting material and cost of INM/IPM in 3 installments 60:20:20 (1st year Rs 30,000/ha and Rs 10,000/ha in 2nd year &

फसल (Crop Name)

क्षेत्रफल (Area) है0

ii) सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली सहित (Integrated package with drip irrigation) - Assistance @ 50% of cost i.e. maximum of Rs 75,000/ha for meeting the expenditure on planting material, cost of drip system, INM/IPM, canopy management etc, in 3 installments of 60:

फसल (Crop Name)

क्षेत्रफल (Area) है0

2) सामान्य फल क्षेत्रफल विस्तार — (Normal density fruit plantation - Mango, Guava, Litchi, Pomegranate, Apple, Citrus etc.)

i) सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली रहित (Without integraion) - Assistance @ 50% of cost i.e. maximum of Rs 30,000/ha for meeting the expenditure on planting material and cost of INM/IPM in 3 installments 60:20:20 (1st year Rs 18,000/ha and Rs 6,000/ha in 2nd year an

फसल (Crop Name)

क्षेत्रफल (Area) है0

ii) सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली सहित (Integrated package with drip irrigation) - Assistance @ 50% of cost i.e. maximum of Rs 50,000/ha for meeting the expenditure on planting material, cost of drip system, INM/IPM, canopy management etc, in 3 installments of 60:

फसल (Crop Name)

क्षेत्रफल (Area) है0

3) सब्जी क्षेत्रफल विस्तार (Vegetable area expansion)

Assistance @ 50% of cost i.e. maximum of Rs 25,000/ha अधिकतम 02 है0 प्रति लाभार्थी

फसल (Crop Name)

क्षेत्रफल (Area) है0

4) मशरूम — (Mushrooms.)

i) उत्पादन इकाई (Production Unit) - Assistance @ 100% for public sector limited to Rs 20 lakh/unit and in case of private sector, credit linked back ended subsidy @ 40% of cost, subject to a maximum of Rs 8 lakh / unit, for meeting the expenditure on infrastructure.

राजकीय (Public)

व्यक्तिगत (Private)

ii) स्पॉन मार्केटिंग इकाई (Spawn Making Unit) - Assistance @ 100% for public sector limited to Rs 15 lakh/unit and in case of private sector, credit linked back ended subsidy @ 40% of cost, subject to a maximum of Rs 6 lakh / unit, for meeting the expenditure on infrastructure.

राजकीय (Public)

व्यक्तिगत (Private)

iii) कम्पोस्ट मेकिंग इकाई (Compost Making Unit) - Assistance @ 100% for public sector limited to Rs 20 lakh/unit and in case of private sector, credit linked back ended subsidy @ 40% of cost, subject to a maximum of Rs 8 lakh / unit, for meeting the expenditure on infrastructure.

राजकीय (Public)

व्यक्तिगत (Private)

5) पुष्प फल क्षेत्रफल विस्तार — (Flowers area expansion) अधिकतम 02 है0 प्रति लाभार्थी

i) खुले पुष्प (Cut flowers)

Assistance @ 50% of cost i.e. maximum of Rs 50,000/ha.

फसल (Crop Name)

क्षेत्रफल (Area) है0

ii) डंडीयुक्त पुष्प (Bullbulous flowers)
Assistance @ 50% of cost i.e. maximum of Rs 75,000/ha.

फसल (Crop Name) _____
क्षेत्रफल (Area) _____ है0

iii) बल्वयुक्त पुष्प (Bullbulous flowers)
Assistance @ 50% of cost i.e. maximum of Rs 20,000/ha.

फसल (Crop Name) _____
क्षेत्रफल (Area) _____ है0

6) मसाला फल क्षेत्रफल विस्तार – (Spices area expansion) अधिकतम 04 है0 प्रति लाभार्थी

i) बीज एवं कन्द वाली मसाला खेती (Seed spices and Rhizomatic spices) - Assistance @ 50% of cost i.e. maximum of Rs 15,000/ha for meeting the expenditure on planting material and cost of material for INM/IPM etc.

फसल (Crop Name) _____
क्षेत्रफल (Area) _____ है0

ii) बारहमासी मसाले (Perennial spices - Black pepper, cinnamon, clove and nutmeg) - Assistance @ 50% of cost i.e. maximum of Rs 25,000/ha for meeting the expenditure on planting material and cost of material for INM/IPM etc.

फसल (Crop Name) _____
क्षेत्रफल (Area) _____ है0

7) सगन्ध पौध क्षेत्रफल विस्तार – (Aromatic Plants area expansion) अधिकतम 04 है0 प्रति लाभार्थी

i) अधिक लागत वाली सगन्ध पौध (Cost intensive aromatic plants) - Assistance @ 50% of cost i.e. maximum of Rs 50,000/ha for meeting the expenditure on planting material and cost of material for INM/IPM etc.

फसल (Crop Name) _____
क्षेत्रफल (Area) _____ है0

ii) अन्य सगन्ध पौध (Other aromatic plants) - Assistance @ 50% of cost i.e. maximum of Rs 20,000/ha for meeting the expenditure on planting material and cost of material for INM/IPM etc.

फसल (Crop Name) _____
क्षेत्रफल (Area) _____ है0

11. प्रस्तावित कार्य का कुल क्षेत्रफल _____ है0

12. प्रस्तावित कार्य की कुल लागत _____

13. धनराशि की व्यवस्था **(Fund arrangement)**

किसान क्रेडिट कार्ड से (Through farmer credit card) _____
क्रेडिट लिमिट (Credit limit) _____
बैंक ऋण से (Through Bank Loan) _____

निजी स्त्रोत से (By Self) _____

अन्य स्त्रोत से (By other Source) _____

कार्ड नम्बर (Card No.) _____
जारीकर्ता बैंक (Bank Name) _____
ऋणदाता बैंक(Loan provider bank) _____
ऋण धनराशि (Loan amount) _____
खाता संख्या (Account No) _____
बैंक का नाम (Bank Name) _____
श्रोत इंगित करें(Source detail) _____

किसान क्रेडिट कार्ड की प्रति/बैंक ऋण स्वीकृति पत्र/निजी स्त्रोत के सापेक्ष बैंक द्वारा प्रमाणित एकाउण्ट स्टेटमेंट व अन्य स्त्रोत के सापेक्ष साक्ष्य संलग्न करें। (Enclosed Farmer Credit Card copy/ Bank loan approval letter / Bank statement certificed by bank for self source and other source arrengement)

14. कार्यक्रम कार्यान्वयन की समय सारिणी
(Time table of implementation)

15. प्रस्तावित उत्पादन कार्यक्रम
Proposed production progremme

फसल का नाम (Crop)	क्षेत्रफल है0 में (Area in ha)	उत्पादन (Production)

16. प्रस्तावित आय–व्यय का वित्तीय विश्लेषण

17. सामाजिक लाभ

प्रत्यक्ष रोजगार
महिला/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु रोजगार सृजन

18. विपणन व्यवस्था/रणनीति

19. संलग्न करें:–

- [ ] उद्रण खतौनी की प्रमाणित प्रति।
- [ ] मदवार व्यय विवरण।
- [ ] पूंजी प्रबन्धन के सापेक्ष साक्ष्य की प्रति।
- [ ] उद्यान कार्ड की छायाप्रति।
- [ ] रू0 10 के स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र।

आवेदक के हस्ताक्षर

जिला उद्यान अधिकारी / प्रसार अधिकारी (मशरूम) देहरादून / प्रोजेक्ट कोआर्डिनेटर (मशरूम) ट्यौलीकोट कार्यालय के प्रयोगार्थ

उक्त प्रस्ताव का परीक्षण जनपद स्तरीय परीक्षण समिति द्वारा कर लिया गया है।

अ) प्रस्ताव में पायी गयी कमियॉः–

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....

प्रस्ताव में उपरोक्त कमियॉ पायी गयी हैं, जिनके निराकरण हेतु प्रस्ताव सम्बन्धित प्रभारी, उद्यान सचल दल केन्द्र के माध्यम से कास्तकार को प्रेषित किया जाना उचित होगा।

ब) प्रस्ताव का परीक्षण कर लिया गया है, प्रस्ताव स्वीकृति योग्य है। अतः स्वीकृति की संस्तुति की जाती है।

समिति के सदस्यों का नाम, पदनाम व हस्ताक्षर

	नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1.			
2.			
3.			

राज्य बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड

जनपद ..... जि0उ0अ0 कार्यालय की पंजीकरण पंजिका के अनुसार क्रमांक एवं दिनांक .....

उद्यान कार्ड संख्या .....

बागवानी मिशन के अन्तर्गत औद्यानिक यन्त्रीकरण (Horticulture Mechanization) के लिये आवेदन हेतु प्रारूप–B12

1. लाभार्थी का नाम (Name of Beneficiary) : .....

2. पिता / पति का नाम (Father/Husband Name) : .....

3. लाभार्थी का पता गॉव का नाम : .....
   Beneficiary address Village Name
   डाकखाना (Post Office) : .....
   विकासखण्ड (Block) : .....
   जनपद (District) : .....
   मोबाईल / टेलीफोन (Mobile / Telephone) : .....

आवेदक का उ0स0द0के0 प्रभारी द्वारा प्रमाणित नवीनतम फोटोग्राफ (Attested by Mobile team incharge recent photograph of farmer)

4. लाभार्थी की श्रेणी (Beneficiary Category)
   सामान्य वर्ग (General) ☐ पिछडा वर्ग (Backward) ☐
   अनुसूचित जाति (SC) ☐ अनुसूचित जनजाति (ST) ☐

5. कृषक श्रेणी (Farmer Category)
   अ) लघु / सीमान्त (Small/Margional) ☐ बडे किसान (Big farmer) ☐
   ब) पुरूष (Male) ☐ महिला (Female) ☐

6. क्षेत्र (Area) पर्वतीय (Hill) ☐ मैदानी (Plain) ☐

7. लाभार्थी की शैक्षिक योग्यता (Beneficiary education qualification)
   नॉन मैट्रिक (Non Metric) ☐ 12वीं (Intermediate) ☐
   मैट्रिक (Metric) ☐ स्नातक (Graduate) ☐

8. कार्यक्रम के अन्तर्गत आवेदन की श्रेणी – Applied for (केवल एक ही श्रेणी में आवेदन अनुमन्य है – Eligible for only one category)

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु व सीमान्त तथा महिलाओं हेतु 35 प्रतिशत या अधिकतम रू0 1.00 लाख व अन्य लाभार्थी हेतु 25 प्रतिशत या अधिकतम रू0 0.75 लाख प्रति लाभार्थी (35% (Rs 1.00 lakh) for SC, ST, Small & Marginal farmers, Women and 25% (0.75 lakh) for other beneficiaries)

श्रेणी–i) ट्रैक्टर (20 पी0टी0ओ एच0पी0 तक) - Tractor (up to 20 PTO HP)

नाम (Name)

क्षमता पी0टी0ओ0 एच0पी0 में (Power in PTO HP)

कुल लागत (Total cost)

अनुमन्य राज सहायता (Eligible subsidy)

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु व सीमान्त तथा महिलाओं हेतु 50 प्रतिशत या अधिकतम रू0 0.50 लाख व अन्य लाभार्थी हेतु 40 प्रतिशत या अधिकतम रू0 0.40 लाख प्रति लाभार्थी (50% (Rs 0.50 lakh) for SC, ST, Small & Marginal farmers, Women and 40% (0.40 lakh) for other beneficiaries)

श्रेणी–ii - a) पॉवर टिलर (8 बी0एच0पी0 तक) - Power Tiller (below 8 BHP)

नाम (Name)

क्षमता बी0एच0पी0 में (Power in BHP HP)

कुल लागत (Total cost)

अनुमन्य राज सहायता (Eligible subsidy)

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु व सीमान्त तथा महिलाओं हेतु 50 प्रतिशत या अधिकतम रू0 0.75 लाख व अन्य लाभार्थी हेतु 40 प्रतिशत या अधिकतम रू0 0.60 लाख प्रति लाभार्थी (50% (Rs 0.75 lakh) for SC, ST, Small & Marginal farmers, Women and 40% (0.60 lakh) for other beneficiaries)

श्रेणी–ii - b) पॉवर टिलर (8 बी0एच0पी0 से अधिक) - Power Tiller (8 BHP & above)

नाम (Name)

क्षमता बी0एच0पी0 में (Power in BHP HP)

कुल लागत (Total cost)

अनुमन्य राज सहायता (Eligible subsidy)

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु व सीमान्त तथा महिलाओं हेतु 50 प्रतिशत या अधिकतम रू0 0.15 लाख व अन्य लाभार्थी हेतु 40 प्रतिशत या अधिकतम रू0 0.12 लाख प्रति लाभार्थी (50% (Rs 0.15 lakh) for SC, ST, Small & Marginal farmers, Women and 40% (0.12 lakh) for other beneficiaries)

श्रेणी–iii - a) ट्रैक्टर/पॉवर टिलर (20 बी0एच0पी0 तक की शक्ति से चालित) भूमि सुधारीकरण, जुताई व बीजाई हेतु क्यारी तैयारी हेतु आवश्यक उपकरण - Tractor / Power Tiller (below 20 BHP) (Driven equipment) - Land Development, tillage and seed bed preparation equipments

नाम (Name)

क्षमता बी0एच0पी0 में (Power in BHP HP)

कुल लागत (Total cost)

अनुमन्य राज सहायता (Eligible subsidy)

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु व

श्रेणी–iii - b) ट्रैक्टर/पॉवर टिलर (20 बी0एच0पी0 तक की शक्ति से चालित) बुआई,

सीमान्त तथा महिलाओं हेतु 50 प्रतिशत या अधिकतम रू0 0.15 लाख व अन्य लाभार्थी हेतु 40 प्रतिशत या अधिकतम रू0 0.12 लाख प्रति लाभार्थी (50% (Rs 0.15 lakh) for SC, ST, Small & Marginal farmers, Women and 40% (0.12 lakh) for other beneficiaries)

कटाई व खुदाई हेतु उपकरण - Tractor / Power Tiller (below 20 BHP) (Driven equipment) - Sowing, planting reaping and digging equipments

नाम (Name)

क्षमता बी0एच0पी0 में (Power in BHP HP)

कुल लागत (Total cost)

अनुमन्य राज सहायता (Eligible subsidy)

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु व सीमान्त तथा महिलाओं हेतु 50 प्रतिशत या अधिकतम रू0 0.35 लाख व अन्य लाभार्थी हेतु 40 प्रतिशत या अधिकतम रू0 0.28 लाख प्रति लाभार्थी (50% (Rs 0.35 lakh) for SC, ST, Small & Marginal farmers, Women and 40% (0.28 lakh) for other beneficiaries)

श्रेणी–iii - c) ट्रैक्टर/पॉवर टिलर (20 बी0एच0पी0 तक) प्लास्टिक मल्चिंग बिछाने की मशीन - Tractor / Power Tiller (below 20 BHP) (Driven equipment) - Plastic mulch laying machine

नाम (Name)

क्षमता बी0एच0पी0 में (Power in BHP HP)

कुल लागत (Total cost)

अनुमन्य राज सहायता (Eligible subsidy)

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु व सीमान्त तथा महिलाओं हेतु 50 प्रतिशत या अधिकतम रू0 1.25 लाख व अन्य लाभार्थी हेतु 40 प्रतिशत या अधिकतम रू0 1.00 लाख प्रति लाभार्थी (50% (Rs 1.25 lakh) for SC, ST, Small & Marginal farmers, Women and 40% (1.00 lakh) for other beneficiaries)

श्रेणी–iv) औद्यानिकी हेतु स्वचालित मशीन - Self propelled horticulture machinery

नाम (Name)

क्षमता बी0एच0पी0 में (Power in BHP HP)

कुल लागत (Total cost)

अनुमन्य राज सहायता (Eligible subsidy)

9. प्रस्तावित मशीन व उपकरण की कुल लागत (Total cost of proposed Tool / Equipment) : कोटेशन/इस्टीमेट संलग्न करें। (Enclosed Quotation / Estimate)

10. मशीन व उपकरण आई.एस.आई. मार्क (Machine / Equipment ISI Mark) हॉ (Yes) नहीं (No)

11. धनराशि की व्यवस्था (Fund arrangement)

किसान क्रेडिट कार्ड से (Through farmer credit card)		कार्ड नम्बर (Card No.)	
क्रेडिट लिमिट (Credit limit)		जारीकर्ता बैंक (Bank Name)	
बैंक ऋण से (Through Bank Loan)		ऋणदाता बैंक(Loan provider bank)	
		ऋण धनराशि (Loan amount)	
निजी स्त्रोत से (By Self)		खाता संख्या (Account No)	
		बैंक का नाम (Bank Name)	
अन्य स्त्रोत से (By other Source)		श्रोत इंगित करें(Source detail)	

किसान क्रेडिट कार्ड की प्रति/बैंक ऋण स्वीकृति पत्र/निजी स्त्रोत के सापेक्ष बैंक द्वारा प्रमाणित एकाउण्ट स्टेटमेंट व अन्य स्त्रोत के सापेक्ष साक्ष्य संलग्न करें। (Enclosed Farmer Credit Card copy/ Bank loan approval letter / Bank statement certificed by bank for self source and other source arrengement)

12. लाभार्थी के नाम कुल कृषि योग्य भूमि (जो राजस्व अभिलेखों में उसके स्वंय के नाम दर्ज हो) Total agriculture land of beneficiary	है0 (ha.)	बागवानी फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल	है0 (ha.)
13. खसरा संख्या (Khasra No.)		सिंचाई की उपलब्ध सुविधायें (Irrigation facilities)	

14. लाभार्थी द्वारा वर्तमान में उत्पादित फसलों का विवरण (Detail of crops produce by beneficiary) :

15. कार्यक्रम का उद्देश्य (Objective of the progremme) :

16. पावर मशीन व उपकरणों का उपयोग किस कार्य के लिये किया जाना है :

17. संलग्न करें:–

- [ ] उद्रण खतौनी की प्रमाणित प्रति।
- [ ] मदवार व्यय विवरण।
- [ ] पूंजी प्रबन्धन के सापेक्ष साक्ष्य की प्रति।
- [ ] उद्यान कार्ड की छायाप्रति।
- [ ] रू0 10 के स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र।

आवेदक के हस्ताक्षर

जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय के प्रयोगार्थ

उक्त प्रस्ताव का परीक्षण जनपद स्तरीय परीक्षण समिति द्वारा कर लिया गया है।

अ) प्रस्ताव में पायी गयी कमियॉ:–

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....

प्रस्ताव में उपरोक्त कमियॉ पायी गयी हैं, जिनके निराकरण हेतु प्रस्ताव सम्बन्धित प्रभारी, उद्यान सचल दल केन्द्र के माध्यम से कास्तकार को प्रेषित किया जाना

ब) प्रस्ताव का परीक्षण कर लिया गया है, प्रस्ताव स्वीकृति योग्य है। अतः स्वीकृति की संस्तुति की जाती है।

समिति के सदस्यों का नाम, पदनाम व हस्ताक्षर

	नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1.			
2.			
3.			

राज्य बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड

जनपद .....

जि0उ0अ0 कार्यालय की पंजीकरण पंजिका के अनुसार क्रमांक एवं दिनांक .....

उद्यान कार्ड संख्या .....

बागवानी मिशन के अन्तर्गत जल स्त्रोतों का सृजन (Creation of Water resources) के लिये आवेदन हेतु प्रारूप–B4

आवेदक का उ0स0द0के0 प्रभारी द्वारा प्रमाणित नवीनतम फोटोग्राफ (Attested by Mobile team incharge recent photograph of farmer)

1. लाभार्थी का नाम (Name of Beneficiary) : .....

2. पिता/पति का नाम (Father/Husband Name) : .....

3. लाभार्थी का पता (Beneficiary address) — गॉव का नाम (Village Name) : .....
   डाकखाना (Post Office) : .....
   विकासखण्ड (Block) : .....
   जनपद (District) : .....
   मोबाईल/टेलीफोन (Mobile / Telephone) : .....

4. लाभार्थी की श्रेणी (Beneficiary Category)
   - सामान्य वर्ग (General) ☐
   - पिछडा वर्ग (Backward) ☐
   - अनुसूचित जाति (SC) ☐
   - अनुसूचित जनजाति (ST) ☐

5. कृषक श्रेणी (Farmer Category)
   - अ) लघु/सीमान्त (Small/Margional) ☐
   - बडे किसान (Big farmer) ☐
   - ब) पुरूष (Male) ☐
   - महिला (Female) ☐

6. क्षेत्र (Area)
   - पर्वतीय (Hill) ☐
   - मैदानी (Plain) ☐

7. लाभार्थी की शैक्षिक योग्यता (Beneficiary education qualification)
   - नॉन मैट्रिक (Non Metric) ☐
   - 12वीं (Intermediate) ☐
   - मैट्रिक (Metric) ☐
   - स्नातक (Graduate) ☐

8. लाभार्थी के नाम कुल कृषि योग्य भूमि (जो राजस्व अभिलेखों में उसके स्वंय के नाम दर्ज हो) ☐ है0
   बागवानी फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल ☐ है0

9. प्रस्तावित कार्य के लिये चयनित भूमि का खसरा संख्या क्षेत्रफल सहित (क्षे0 है0 में) ☐
   सिंचाई की उपलब्ध सुविधायें Irrigation facilities ☐

10. प्रस्तावित कार्यक्रम **(Proposed programme)**

1. सामुदायिक पौण्ड/टैंक (Community tanks / on farm ponds / on farm water reservoirs with use of plastic / RCC lining) - Assistance @ 100% of cost (Rs. 20 lakh in plain areas and Rs. 25 lakh / unit for hilly areas) to irrigate 10 ha of command area, with pond size of 100m x 100m x 03m or any other smaller size on prorata basis depending upon the command upon the command area either use of minimum 500 micron plastic films or RCC lining, owned & managed by a community / farmer group

i) मैदानी क्षेत्र (Plain area) [ ]

ii) पर्वतीय क्षेत्र (Hilly area) [ ]

आकार (Size) [ ]

2. व्यक्तिगत पौण्ड/ट्यूबवैल (Water harvesting system for individuals - for storage of water in 20mx20mx3m ponds / tube wells / dug wells @ Rs 125/- cum) - Assistance @ 50% of cost (Rs. 1.50 lakh in plain areas and Rs. 1.80 lakh / unit for hilly areas) including 300 micron plastic / RCC lining. Cost for non-lined ponds / tanks (only in black cotton soils) will be 30% less. For smaller size of the ponds / dug wells, cost will be admissible on pro rata basis depending upon the command area. Maintenance will be ensured by the beneficiary.

ट्यूबवैल/डगवैल/पौण्ड (Tube well / Dug well / Pond) [ ]

i) मैदानी क्षेत्र (Plain area) [ ]

ii) पर्वतीय क्षेत्र (Hilly area) [ ]

11. पौण्ड/टैंक की क्षमता [ ] घनमीटर में

ट्यूबवैल की गहराई (फीट में)/ [ ]

बोरिंग की माप (इंच में) [ ]

12. प्रस्तावित कार्य की कुल लागत [ ]

13. धनराशि की व्यवस्था
(Fund arrangement)

किसान क्रेडिट कार्ड से (Through farmer credit card) [ ]

कार्ड नम्बर (Card No.) [ ]

क्रेडिट लिमिट (Credit limit) [ ]

जारीकर्ता बैंक (Bank Name) [ ]

बैंक ऋण से (Through Bank Loan) [ ]

ऋणदाता बैंक(Loan provider bank) [ ]

ऋण धनराशि (Loan amount) [ ]

निजी स्त्रोत से (By Self) [ ]

खाता संख्या (Account No) [ ]

बैंक का नाम (Bank Name) [ ]

अन्य स्त्रोत से (By other Source) [ ]

श्रोत इंगित करें(Source detail) [ ]

किसान क्रेडिट कार्ड की प्रति/बैंक ऋण स्वीकृति पत्र/निजी स्त्रोत के सापेक्ष बैंक द्वारा प्रमाणित एकाउण्ट स्टेटमेंट व अन्य स्त्रोत के सापेक्ष साक्ष्य संलग्न करें। (Enclosed Farmer Credit Card copy/ Bank loan approval letter / Bank statement certificed by bank for self source and other source arrengement)

14. कार्यक्रम कार्यान्वयन की समय सारिणी
(Time table of implementation)

15. प्रस्तावित उत्पादन कार्यक्रम
Proposed production progremme

फसल का नाम (Crop)	क्षेत्रफल है0 में (Area in ha)	उत्पादन (Production)

16. प्रस्तावित आय–व्यय का वित्तीय विश्लेषण

17. सामाजिक लाभ

प्रत्यक्ष रोजगार
महिला/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु रोजगार सृजन

18. विपणन व्यवस्था/रणनीति

19. संलग्न करें:–

- [ ] उद्रण खतौनी की प्रमाणित प्रति।
- [ ] मदवार व्यय विवरण।
- [ ] पूंजी प्रबन्धन के सापेक्ष साक्ष्य की प्रति।
- [ ] उद्यान कार्ड की छायाप्रति।
- [ ] रू0 10 के स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र।

आवेदक के हस्ताक्षर

जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय के प्रयोगार्थ

उक्त प्रस्ताव का परीक्षण जनपद स्तरीय परीक्षण समिति द्वारा कर लिया गया है।

अ) प्रस्ताव में पायी गयी कमियॉ:–

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....

प्रस्ताव में उपरोक्त कमियॉ पायी गयी हैं, जिनके निराकरण हेतु प्रस्ताव सम्बन्धित प्रभारी, उद्यान सचल दल केन्द्र के माध्यम से कास्तकार को प्रेषित किया जाना उचित होगा।

ब) प्रस्ताव का परीक्षण कर लिया गया है, प्रस्ताव स्वीकृति योग्य है। अतः स्वीकृति की संस्तुति की जाती है।

समिति के सदस्यों का नाम, पदनाम व हस्ताक्षर

	नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1.			
2.			
3.			

राज्य बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड

जनपद .....

जि0उ0अ0 कार्यालय की पंजीकरण पंजिका के अनुसार क्रमांक एवं दिनांक .....

उद्यान कार्ड संख्या .....

बागवानी मिशन के अन्तर्गत मधुमक्खी पालन द्वारा परागण सहायता (Pollination support through beekeeping) के लिये आवेदन हेतु प्रारूप–B11

आवेदक का उ0स0द0के0 प्रभारी द्वारा प्रमाणित नवीनतम फोटोग्राफ (Attested by Mobile team incharge recent photograph of farmer)

1. लाभार्थी का नाम (Name of Beneficiary) : .....

2. पिता/पति का नाम (Father/Husband Name) : .....

3. लाभार्थी का पता Beneficiary address
   - गॉव का नाम Village Name : .....
   - डाकखाना (Post Office) : .....
   - विकासखण्ड (Block) : .....
   - जनपद (District) : .....
   - मोबाईल/टेलीफोन (Mobile / Telephone) : .....

4. लाभार्थी की श्रेणी (Beneficiary Category)
   - सामान्य वर्ग (General) ☐
   - पिछडा वर्ग (Backward) ☐
   - अनुसूचित जाति (SC) ☐
   - अनुसूचित जनजाति (ST) ☐

5. कृषक श्रेणी (Farmer Category)
   - अ) लघु/सीमान्त (Small/Marginal) ☐
   - बडे किसान (Big farmer) ☐
   - ब) पुरूष (Male) ☐
   - महिला (Female) ☐

6. क्षेत्र (Area)
   - पर्वतीय (Hill) ☐
   - मैदानी (Plain) ☐

7. लाभार्थी की शैक्षिक योग्यता (Beneficiary education qualification)
   - नॉन मैट्रिक (Non Metric) ☐
   - 12वीं (Intermediate) ☐
   - मैट्रिक (Metric) ☐
   - स्नातक (Graduate) ☐

8. लाभार्थी के नाम कुल कृषि योग्य भूमि (जो राजस्व अभिलेखों में उसके स्वंय के नाम दर्ज हो) ☐ है0
   - बागवानी फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल ☐ है0

9. प्रस्तावित कार्य के लिये चयनित भूमि का खसरा संख्या क्षेत्रफल सहित (क्षे0 है0 में) ☐
   - सिंचाई की उपलब्ध सुविधायें Irrigation facilities ☐

10. प्रस्तावित कार्यक्रम (Proposed programme)

    1) मधुमक्खी प्रजनकों द्वारा मधुमक्खी कॉलोनी का उत्पादन (Production of bee colonies by bee breeder) - Assistance @ 40% of cost limited to Rs. 4.00 lakh for producing minimum of 2000 colonies / year. ☐

    2) मधुमक्खी कॉलोनी (Honey bee colony) - Assistance @ 40% of cost i.e. Rs. 800/ limited to 50 colonies / beneficiary. ☐

3) मधुमक्खी का छत्ता (Bee hives) - Assistance @ 40% of cost i.e. Rs. 800/ limited to 50 colonies / beneficiary.

4) उपकरण जिसमें शहद निकालने वाला यन्त्र (4 फ्रेम), फूड ग्रेड कंटेनर, कंटेनर (30 किग्रा0) (Equipment including honey extractor (4 frame), food grade container (30 kg), net, including complete set of Bee keeping equipment) Assistance @ 40% of cost i.e. Rs. 8,000/ limited to one set per beneficiary.

11. प्रस्तावित कार्य का क्षेत्रफल _____ है0

12. प्रस्तावित कार्य की कुल लागत _____

13. धनराशि की व्यवस्था
(Fund arrangement)

किसान क्रेडिट कार्ड से (Through farmer credit card) _____ कार्ड नम्बर (Card No.) _____

क्रेडिट लिमिट (Credit limit) _____ जारीकर्ता बैंक (Bank Name) _____

बैंक ऋण से (Through Bank Loan) _____ ऋणदाता बैंक(Loan provider bank) _____

ऋण धनराशि (Loan amount) _____

निजी स्त्रोत से (By Self) _____ खाता संख्या (Account No) _____

बैंक का नाम (Bank Name) _____

अन्य स्त्रोत से (By other Source) _____ श्रोत इंगित करें(Source detail) _____

किसान क्रेडिट कार्ड की प्रति/बैंक ऋण स्वीकृति पत्र/निजी स्त्रोत के सापेक्ष बैंक द्वारा प्रमाणित एकाउण्ट स्टेटमेंट व अन्य स्त्रोत के सापेक्ष साक्ष्य संलग्न करें। (Enclosed Farmer Credit Card copy/ Bank loan approval letter / Bank statement certificed by bank for self source and other source arrengement)

14. कार्यक्रम कार्यान्वयन की समय सारिणी
(Time table of implementation)

15. प्रस्तावित उत्पादन कार्यक्रम
Proposed production progremme

फसल का नाम (Crop)	क्षेत्रफल है0 में (Area in ha)	उत्पादन (Production)

16. प्रस्तावित आय–व्यय का वित्तीय विश्लेषण

17. सामाजिक लाभ

प्रत्यक्ष रोजगार
महिला/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु रोजगार सृजन

18. विपणन व्यवस्था/रणनीति

19. संलग्न करें:–

- [ ] उद्रण खतौनी की प्रमाणित प्रति।
- [ ] इस्टीमेट।
- [ ] पूंजी प्रबन्धन के सापेक्ष साक्ष्य की प्रति।
- [ ]

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रदेशीय सौन विशेषज्ञ, ज्योलीकोट कार्यालय के प्रयोगार्थ

उक्त प्रस्ताव का परीक्षण जनपद स्तरीय परीक्षण समिति द्वारा कर लिया गया है।

अ) प्रस्ताव में पायी गयी कमियॉ:–

2. .....

3. .....

4. .....

5. .....

प्रस्ताव में उपरोक्त कमियॉ पायी गयी हैं, जिनके निराकरण हेतु प्रस्ताव सम्बन्धित प्रभारी, उद्यान सचल दल केन्द्र के माध्यम से कास्तकार को प्रेषित किया जाना उचित होगा।

समिति के सदस्यों का नाम, पदनाम व हस्ताक्षर

	नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1.			
2.			
3.			

राज्य बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड

जनपद .....

जि0उ0अ0 कार्यालय की पंजीकरण पंजिका के अनुसार क्रमांक एवं दिनांक .....

उद्यान कार्ड संख्या .....

बागवानी मिशन के अन्तर्गत संरक्षित खेती (Protected cultivation) के लिये आवेदन हेतु प्रारूप–B5

आवेदक का उ0स0द0के0 प्रभारी द्वारा प्रमाणित नवीनतम फोटोग्राफ (Attested by Mobile team incharge

1. लाभार्थी का नाम (Name of Beneficiary) : .....

2. पिता / पति का नाम (Father/Husband Name) : .....

3. लाभार्थी का पता (Beneficiary address)
   - गॉव का नाम (Village Name) : .....
   - डाकखाना (Post Office) : .....
   - विकासखण्ड (Block) : .....
   - जनपद (District) : .....
   - मोबाईल / टेलीफोन (Mobile / Telephone) : .....

4. लाभार्थी की श्रेणी (Beneficiary Category)
   - सामान्य वर्ग (General) [ ]
   - पिछडा वर्ग (Backward) [ ]
   - अनुसूचित जाति (SC) [ ]
   - अनुसूचित जनजाति (ST) [ ]

5. कृषक श्रेणी (Farmer Category)
   - अ) लघु / सीमान्त (Small/Margional) [ ]
   - बडे किसान (Big farmer) [ ]
   - ब) पुरूष (Male) [ ]
   - महिला (Female) [ ]

6. क्षेत्र (Area)
   - पर्वतीय (Hill) [ ]
   - मैदानी (Plain) [ ]

7. लाभार्थी की शैक्षिक योग्यता (Beneficiary education qualification)
   - नॉन मैट्रिक (Non Metric) [ ]
   - 12वीं (Intermediate) [ ]
   - मैट्रिक (Metric) [ ]
   - स्नातक (Graduate) [ ]

8. लाभार्थी के नाम कुल कृषि योग्य भूमि (जो राजस्व अभिलेखों में उसके स्वंय के नाम दर्ज हो) [ ] है0
   - बागवानी फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल [ ] है0

9. प्रस्तावित कार्य के लिये चयनित भूमि का खसरा संख्या क्षेत्रफल सहित (क्षे0 वर्गमीटर में) [ ]
   - सिंचाई की उपलब्ध सुविधायें Irrigation facilities [ ]

10. प्रस्तावित कार्यक्रम **(Proposed programme)**

1 a) हाईटेक पॉलीहाउस **(Fan & Pad system polyhouse)** - Total eligible cost Rs. 1650/sqm up to area 500 sqm, Rs. 1465/sqm >500 sqm up to 1008 sqm, Rs. 1420/sqm > 1008 sqm up to 2080 sqm, Rs. 1400/sqm >2080 sqm up to 4000 sqm (above rates will be 15% higher for hilly areas). Assistance @ 50% of cost for a maximum area of 4000 sqm per beneficiary.

i) मैदानी क्षेत्र (Plain area) ☐
ii) पर्वतीय क्षेत्र (Hilly area) ☐
आकार वर्गमीटर में (Size in sqm) ☐

1 b) ट्यूबलर स्ट्रक्चर पॉलीहाउस **(Tubular Structure polyhouse)** - Total eligible cost Rs. 1060/sqm up to area 500 sqm, Rs. 935/sqm >500 sqm up to 1008 sqm, Rs. 890/sqm > 1008 sqm up to 2080 sqm, Rs. 844/sqm >2080 sqm up to 4000 sqm (above rates will be 15% higher for hilly areas). Assistance @ 50% of cost for a maximum area of 4000 sqm per beneficiary.

i) मैदानी क्षेत्र (Plain area) ☐
ii) पर्वतीय क्षेत्र (Hilly area) ☐
आकार वर्गमीटर में (Size in sqm) ☐

1 c) लकडी के ढ़ॉचे का पॉलीहाउस **(Wooden structure polyhouse)** - Total eligible cost Rs. 540/sqm for plain areas and Rs. 621/sqm for hilly areas. Assistance @ 50% of cost limited to 20 units per beneficiary (each unit not to be exceed 200 sqm)

i) मैदानी क्षेत्र (Plain area) ☐
ii) पर्वतीय क्षेत्र (Hilly area) ☐
आकार वर्गमीटर में (Size in sqm) ☐

1 d) बॉस के ढॉचे का पॉलीहाउस **(Bamboo structure polyhouse)** - Total eligible cost Rs. 450/sqm for plain areas and Rs. 518/sqm for hilly areas. Assistance @ 50% of cost limited to 20 units per beneficiary (each unit should not exceed 200 sqm)

i) मैदानी क्षेत्र (Plain area) ☐
ii) पर्वतीय क्षेत्र (Hilly area) ☐
आकार वर्गमीटर में (Size in sqm) ☐

2 a) ट्यूबलर शैडनेट हाउस **(Tubular structure Shade Net House)** - Total eligible cost Rs. 710/sqm for plain areas and Rs. 816/sqm for hilly areas. Assistance @ 50% of cost limited to 4000 sqm per beneficiary

i) मैदानी क्षेत्र (Plain area) ☐
ii) पर्वतीय क्षेत्र (Hilly area) ☐
आकार वर्गमीटर में (Size in sqm) ☐

2 b) लकड़ी के ढॉचे का शैडनेट हाउस **(Wooden structure shed nethouse)** - Total eligible cost Rs. 492/sqm for plain areas and Rs. 566/sqm for hilly areas. Assistance @ 50% of cost limited to 20 units per beneficiary (each unit not to exceed 200 sqm).

i) मैदानी क्षेत्र (Plain area) ☐
ii) पर्वतीय क्षेत्र (Hilly area) ☐
आकार वर्गमीटर में (Size in sqm) ☐

2 c) बॉस के ढॉचे का शैडनेट हाउस **(Bamboo structure Shade Net House)** - Total eligible cost Rs. 360/sqm for plain areas and Rs. 414/sqm for hilly areas. Assistance @ 50% of cost limited to 20 units per beneficiary (each unit not to exceed 200 sqm).

i) मैदानी क्षेत्र (Plain area) ☐
ii) पर्वतीय क्षेत्र (Hilly area) ☐
आकार वर्गमीटर में (Size in sqm) ☐

3) प्लास्टिक टनल (Plastic Tunnels) - Total eligible cost Rs. 60/sqm for plain areas and Rs. 75/sqm for hilly areas. Assistance @ 50% of cost limited to 1000 sqm per beneficiary.

i) मैदानी क्षेत्र (Plain area) [ ]
ii) पर्वतीय क्षेत्र (Hilly area) [ ]
आकार वर्गमीटर में (Size in sqm) [ ]

4) बॉक इन टनल (Walk in tunnels) - Total eligible cost Rs. 600/sqm. Assistance @ 50% of cost limited to 5 units per beneficiary (each unit not to exceed 800 sqm).

i) मैदानी क्षेत्र (Plain area) [ ]
ii) पर्वतीय क्षेत्र (Hilly area) [ ]
आकार वर्गमीटर में (Size in sqm) [ ]

5) एन्टी हैलनेट (Anti Hail Nets) - Total eligible cost Rs. 35/sqm. Assistance @ 50% of cost limited to 5000 sqm per beneficiary.

i) मैदानी क्षेत्र (Plain area) [ ]
ii) पर्वतीय क्षेत्र (Hilly area) [ ]
आकार वर्गमीटर में (Size in sqm) [ ]

6 a) पॉलीहाउस में उन्नत सब्जी पौध (Cost of planting material of high value vegetable) - Total eligible cost Rs. 140/sqm. Assistance @ 50% of cost limited to 4000 sqm per beneficiary.

i) मैदानी क्षेत्र (Plain area) [ ]
ii) पर्वतीय क्षेत्र (Hilly area) [ ]
आकार वर्गमीटर में (Size in sqm) [ ]

6 b) पॉलीहाउस में उन्नत आर्किड एवं एन्थूरीयम पुष्प (Cost of planting material of high value orchid & anthurium flower) - Total eligible cost Rs. 700/sqm. Assistance @ 50% of cost limited to 4000 sqm per beneficiary.

i) मैदानी क्षेत्र (Plain area) [ ]
ii) पर्वतीय क्षेत्र (Hilly area) [ ]
आकार वर्गमीटर में (Size in sqm) [ ]

6 c) पॉलीहाउस में उन्नत कारनेशन एवं जरबेरा पुष्प (Cost of planting material of high value Carnation and Gerbera) - Total eligible cost Rs. 610/sqm. Assistance @ 50% of cost limited to 4000 sqm per beneficiary.

i) मैदानी क्षेत्र (Plain area) [ ]
ii) पर्वतीय क्षेत्र (Hilly area) [ ]
आकार वर्गमीटर में (Size in sqm) [ ]

6 d) पॉलीहाउस में उन्नत गुलाब एवं लिलियम पुष्प (Cost of planting material of high value rose and lilium) - Total eligible cost Rs. 426/sqm. Assistance @ 50% of cost limited to 4000 sqm per beneficiary.

i) मैदानी क्षेत्र (Plain area) [ ]
ii) पर्वतीय क्षेत्र (Hilly area) [ ]
आकार वर्गमीटर में (Size in sqm) [ ]

7) प्लास्टिक मल्चिंग (Plastic Mulching) - Total eligible cost Rs. 32,000/ha for plain areas and Rs 36,800/ha for hilly areas. Assistance @ 50% of cost limited to 2 ha per beneficiary.

i) मैदानी क्षेत्र (Plain area) [ ]
ii) पर्वतीय क्षेत्र (Hilly area) [ ]
आकार है0 में (Size in ha) [ ]

11. धनराशि की व्यवस्था
(Fund arrangement)

किसान क्रेडिट कार्ड से (Through farmer credit card)		कार्ड नम्बर (Card No.)	
क्रेडिट लिमिट (Credit limit)		जारीकर्ता बैंक (Bank Name)	
बैंक ऋण से (Through Bank Loan)		ऋणदाता बैंक(Loan provider bank)	
		ऋण धनराशि (Loan amount)	
निजी स्त्रोत से (By Self)		खाता संख्या (Account No)	
		बैंक का नाम (Bank Name)	
अन्य स्त्रोत से (By other Source)		श्रोत इंगित करें(Source detail)	

किसान क्रेडिट कार्ड की प्रति/बैंक ऋण स्वीकृति पत्र/निजी स्त्रोत के सापेक्ष बैंक द्वारा प्रमाणित एकाउण्ट स्टेटमेंट व अन्य स्त्रोत के सापेक्ष साक्ष्य संलग्न करें। (Enclosed Farmer Credit Card copy/ Bank loan approval letter / Bank statement certificed by bank for self source and other source arrengement)

12. प्रस्तावित स्ट्रक्चर इरेक्शन हेतु इरेक्शनकर्ता संस्था का इस्टीमेट
(Constructed firm/company)

संलग्न करें–
(Enclosed)

13. कार्यक्रम कार्यान्वयन की समय सारिणी
(Time table of implementation)

14. प्रस्तावित उत्पादन कार्यक्रम
Proposed production progremme

फसल का नाम (Crop)	क्षेत्रफल है0 में (Area in ha)	उत्पादन (Production)

15. प्रस्तावित आय–व्यय का वित्तीय विश्लेषण

16. सामाजिक लाभ

प्रत्यक्ष रोजगार
महिला/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु रोजगार सृजन

17. विपणन व्यवस्था/रणनीति

19. संलग्न करें:–

- [ ] उद्रण खतौनी की प्रमाणित प्रति।
- [ ] मदवार व्यय विवरण।
- [ ] पूंजी प्रबन्धन के सापेक्ष साक्ष्य की प्रति।
- [ ] उद्यान कार्ड की छायाप्रति।
- [ ] पहचान हेतु राशन कार्ड/आधार कार्ड की छायाप्रति।
- [ ] रू0 10 के स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र।

आवेदक के हस्ताक्षर

जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय के प्रयोगार्थ

उक्त प्रस्ताव का परीक्षण जनपद स्तरीय परीक्षण समिति द्वारा कर लिया गया है।

अ) प्रस्ताव में पायी गयी कमियाँ:–

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....

प्रस्ताव में उपरोक्त कमियाँ पायी गयी हैं, जिनके निराकरण हेतु प्रस्ताव सम्बन्धित प्रभारी, उद्यान सचल दल केन्द्र के माध्यम से कास्तकार को प्रेषित किया जाना उचित होगा।

ब) प्रस्ताव का परीक्षण कर लिया गया है, प्रस्ताव स्वीकृति योग्य है। अतः स्वीकृति की संस्तुति की जाती है।

समिति के सदस्यों का नाम, पदनाम व हस्ताक्षर

	नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1.			
2.			
3.			

पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन के तहत (एचएमएनईएच) सस्योत्तर प्रबंधन के लिए परियोजना आधारित प्रस्ताव को (बाजार बुनियादी ढांचे के अलावा) प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र

(निजी उद्यमियों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सहकारी समितियों द्वारा प्रस्ताव को वित्तीय संगठनों द्वारा ऋण सुविधा की स्वीकृति के बाद प्रपत्र के अनुसार प्रस्तुत किया जाए)

1. परियोजना का नाम
2. कार्य का स्वरूप
3. उद्देश्य
4. परियोजना का स्थान का पूरा पता
   - सामान्य क्षेत्र
   - पर्वतीय/आदिवासी क्षेत्र
5. गठन

(शामिल होने की तिथि तथा संबंधित कानून के साथ-साथ अनुच्छेद और सम्बद्धता की प्रति, उपनियम, साझेदारी समझौता तथा पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रति जो भी लागू है। अधिकृत/भुगतान पूंजी और प्रमोटर योगदान के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य)

(क) पब्लिक लिमिटेड कंपनी

(ख) प्राइवेट लिमिटेड कंपनी

(ग) पंजीकृत सोसायटी

(घ) एसोसिएशन

(ङ) फेडरेशन

(च) उत्पादक कंपनी

(छ) स्वामित्व वाली फर्म

(ज) साझेदारी वाली फर्म

6. प्रबंधन
7. प्रमोटर की पृष्ठभूमि का संक्षिप्त सार
8. परियोजना की लागत (रू0 लाख में)

(क) भूमि (यदि नई खरीदी है साथ में दस्तावेजी साक्ष्य लगाएं)

(ख) भवन

(ग) संयंत्र और मशीनरी

(घ) आकस्मिक व्यय

(ङ) विविध निर्धारित परिसम्पत्तियां

(च) कार्यगत पूंजी की गुंजाइश

(छ) परिचालन से पहले का खर्च

(ज) क्षमता

कुल

9. वित्त का तरीका

(क) प्रमोटर का हिस्सा

(ख) बैंक का सावधि ऋण

(ग) सब्सिडी

(घ) कासी (अस्थाई) इक्विटी

(ङ) असुरक्षित ऋण

कुल

10. संयंत्र और मशीनरी/उपकरण की लागत के विवरण की पुष्टि में कोटेशन लगाए

11. भवन निर्माण और लागत विवरण को विधिवत रूप से प्रमाणित किया जाए।

12. एचएमएनईएच के विशेष संदर्भ में शामिल किया जाने वाला परिचालन क्षेत्र

13. कच्चे माल की उपलब्धता, कलस्टर का नाम और मुख्य फसलों सहित जिले का नाम

14. सेवा प्रदान करने या कच्चे माल की खरीद के संदर्भ में किसानों के साथ मजबूत (बैकवार्ड) सम्पर्क

15. अग्रत (फारवर्ड) सम्पर्क – घरेलू और निर्यात बाजारों का विश्लेषण, उत्पाद की बिक्री और ब्रांडिंग मामलों पर सम्पर्क

16. लाभान्वित होने वाले किसानों/बागवान–कार्मिकों की संख्या

17. एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण

18. वित्तीय विश्लेषण – आईआरआर, एपनीडब्ल्यू, लागत लाभ अनुपात, ब्रेकइवन प्वाइंट, डीईआर, डीएसईआर, अनुमानित तुलन पत्र आदि

19. निर्धारित परिसम्पत्तियों का बीमा

20. प्रदूषण नियंत्रण विभाग से प्रमाण–पत्र

21. प्रायोजक बैंक के नाम के साथ तकनीकी–आर्थिक मूल्यांकन रिपोर्ट का विवरण, बैंक को प्रस्तुत स्वीकृति पत्र तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की प्रति

22. किसी केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभाग से सब्सिडी का लाभ न उठाने से संबंधित प्रमाण पत्र

23. रोजगार सृजन के विशेष संदर्भ में सामाजिक लाभ

(क) प्रत्यक्ष रोजगार

(ख) अप्रत्यक्ष रोजगार

(ग) महिला/एस.टी./एस.सी. रोजगार

24. परियोजना के टिकाऊपन का विवरण विशेष रूप से एक मुश्त अनुदान की पात्रता से आय सृजन में इनकी क्षमता

25. कार्यान्वयन तालिका

26. अपेक्षित सहायता की राशि

नवीन कोल्ड स्टोर पंजीकरण हेतु प्राप्त प्रस्ताव के लिए चैक लिस्ट

1– आवेदन पत्र के तीन सैट।

2– आवेदन पत्र निर्धारित रूपपत्र में तथा निर्धारित फीस के साथ उपलब्ध करायें।

3– जिस क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज बनाना है उस क्षेत्र में पूर्व से परिचालित कोल्ड स्टोरो की संख्या।

4– कोल्ड स्टोर स्थापित किये जाने वाले क्षेत्र के अन्तर्गत औद्यानिक उत्पादों की उपलब्धता।

5– अग्रिम राज्य का अनापत्ति प्रमाण–पत्र।

6– बीमा।

7– उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन का बिल।

8– बकाया प्रमाण पत्र।

9– स्वयं का उत्पादन न रखने का प्रमाण पत्र।

10– राष्ट्रीय बचत पत्र।

11– एफिडेविट।

12– कोल्ड स्टोरेज का नक्शा।

13– खसरा–खतौनी की छायाप्रति।

14– आगणन।

15– कोल्ड स्टोर निर्माण हेतु उपयोग होने वाले स्थान का कच्चा नक्शा।

16– जिला उद्यान अधिकारी द्वारा जारी निरीक्षण आख्या।

17– उपरोक्त सभी पत्र/प्रपत्र जिला उद्यान अधिकारी द्वारा सत्यापित हो।

Cold Stor Cheak list

Scanned by CamScanner

उत्तराखण्ड के शीतगृह विनियम 1976 की धारा- के अन्तर्गत लाइसेन्स अधिनियम 2002 के अधीन नवीनीकरण हेतु आवेदन-पत्र

1. स्वामी/स्वामिनी का नाम
   पिता का नाम :-
2. कोल्ड स्टोरेज का नाम स्थित और डाक पता :-
3. लाइसेन्स की संख्या और दिनांक जिसका नवीनीकरण अपेक्षित है :-
4. वर्तमान लाइसेन्स की समाप्त दिनांक :-
   (1) वर्तमान लाइसेन्स जारी या नवीनीकरण किये जाने के कोल्ड स्टोरेज में किये गये महत्वपूर्ण/हेर-फेर विस्तार ब्यौरा :-
   (2) यदि विस्तार किया गया है तो सक्षम अधिकारी से अतिरिक्त क्षमता वृद्धि है जारी किये गये विवरण पत्र की संख्या व तिथि :-
6. जमा की गई फीस की धनराशि कोषागार चालान की संख्या व दिनांक :-
7. अवधि जिसके लिए नवीनीकरण अपेक्षित है :-
8. स्टोर करने की उपर्युक्त किराया प्रकार की अनुसूचि में परिवर्तन यदि कोई हो :-
9. (1) भवन, मशीनरी, यंत्र इत्यादि के आग व ब्रेक डाउन सम्बंधी बीमा के कवर नोट का ब्यौरा :-
   (2) भण्डारित आलू के बीमा के कवर का ब्यौरा :-
10. क्या थर्मोस्टेट उपलब्ध है तथा भली-भांति कार्य कर रहा है :-
11. क्या विद्युत कनेक्शन हायरेक्ट फीडर लाइन पर है :- यदि हो तो उसका पूर्ण विवरण
12. भण्डारित आलू सड़ तो नहीं गया है यदि हाँ :- तो प्रतिकार भुगतान हो गया या नहीं यदि नहीं तो क्या स्थिति है।
13. शीतगृह स्वामी द्वारा स्वः का वर्तमान सत्र में भण्डारित किया गया यदि हाँ तो साक्ष्य अधिकारी के द्वारा प्रदान की गई अनुज्ञान की संख्या व दिनांक :-
14. कोई अन्य सूचना जैसा आवेदक देना चाहे :-
15. मैं घोषित करता/करती हूँ कि यहां पर दी गई सूचना/ब्यौरा/मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी में तथा विश्वास में सत्य है।
16. मैं/हम प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन/अधिनियम 1976 के प्रावधानों के नियमों एवं उपबन्धों तथा लाइसेन्स अधिकारी के द्वारा दिये गये अनुदेशों का पालन करें। मेरी/हमारे द्वारा किया गया है। तथा वचन भी देता हूँ/देते हैं कि भविष्य में भी उपरोक्त का पालन करूंगा/करेंगे।

आवेदक के हस्ताक्षर

Scanned by CamScanner

प्रपत्र संख्या 2

(भाग 4 देखिए)

उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अध्यादेश 1976 के अधीन लाइसेन्स के प्रतीकीकरण के लिये आवेदन पत्र

1. (1) आवेदक का नाम, पिता का नाम और पता की बजाय सुपुत्र श्रीमती पुत्र श्री बाबूराम पिता श्रीमती निवासी ग्राम कीरी बटकोटा, पो0ओ0 भूतगांव, बदपुर, तह0 किच्छा जिला उधमसिंहनगर, उत्तराखण्ड।
   (2) स्वामी का (स्वामियों के) नाम, पिता का नाम पता और पता
2. कोल्ड स्टोरेज का नाम और स्थिति, पत्र व्यवहार का पता, नाम और विवरण मै0 सम्पूर्ण कोल्डस्टोरेज एण्ड आईस फैक्ट्री, ग्राम कीरी बटकोटा, पो0ओ0 भूतगांव, तहसील बदपुर, तह0 किच्छा जिला उधमसिंहनगर, उत्तराखण्ड।
3. कोल्ड स्टोरेज का आकार-
   (1) कक्षों की संख्या- 3(तीन)
   (2) एकल कोल्ड स्टोरेज की कक्षों का आकार- (लम्बाई, चौड़ाई तथा ऊँचाई मीटर में)।
   (3) समस्त कोल्ड स्टोरेज का कुल स्थान (घन मीटर में)।
4. (1) भवन, संरचना का प्रकार-
   (2) जल सम्भरण का प्रबन्ध-
   (3) बिजली के सम्भरण का प्रबन्ध-
   (4) स्टोर करने की रीति-
   (5) रैकों की संरचना/प्रबन्ध के ब्यौरे-
   (6) प्रयुक्त प्रशीतन (रिफ्रीजरेन्ट) तथा सुरक्षा प्रबन्ध-
   (7) क्या पूर्वशीतन (प्री-कूलिंग) की जाती है तो क्या कोई पूर्व शीतन कक्ष (प्री-कूलिंग चैम्बर) है?
   (8) क्या आपरेटरों के लिये कोल्ड स्टोरेज के भूतलादि में अथवा अलग ही क्वार्टरों की व्यवस्था है?
   (9) प्रबन्धक, टेक्नीशियन, टेक्निकल सुपरवाईजर, आपरेटर इत्यादि की योग्यतायें तथा अनुभव है?
5. प्रशीतक यंत्र (क्रीजिंग प्लान्ट) की क्षमता
6. ब्यौरे सहित मशीनरी की सूची।
7. अधिष्ठित मोटरों, प्राइम-मूवरों की कुल अश्वशक्ति (हार्स पावर)
8. सहायक यूनिट अथवा यूनिटों के, यदि कोई हो, ब्यौरे-
9. स्टोर करने के लिये स्वीकार किये जाने वाले कृषि उत्पाद (उत्पादों) के नाम-
10. कोषागार का नाम और राशि जमा किये गए संलग्न कोषागार चालान की संख्या, दिनांक तथा राशि-
11. अवधि, जिसके लिये लाइसेन्स अपेक्षित है-
12. स्टोर करने के लिये उपयुक्त, किराया प्रभार की अनुसूची जिन्हें वसूल किया जाता है अथवा जिन्हें किराया-
13. मैं, हम घोषित करता हूँ, करते है कि यहां पर दी गई सूचना अथवा ब्यौरे मेरे, हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास में सत्य है।
14. मैं, हम उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियम आयादेश, 1976 इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों का और उन निदेशों का अनुपालन करने का वचन देता हूँ, देते है, जो लाईसेन्स अधिकारी द्वारा उक्त अध्यादेश या नियमों के अधीन समय-समय पर जारी किये जायें-

आवेदक (आवेदकों) के हस्ताक्षर

दिनांक

प्रमाण-

इस आवेदन पत्र पर निम्नलिखित द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा-

1. स्वामी या स्वामियों में से एक के द्वारा जहां कोल्ड स्टोरेज को प्राईवेट व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा चलाने का प्रस्ताव हो।

या

2. प्रबन्धक या प्रबन्धक द्वारा जहां कोल्ड स्टोरेज को निगम/सार्वजनिक उपक्रम द्वारा चलाने का प्रस्ताव हो।

या

3. संचालक द्वारा जहां कोल्ड स्टोरेज के सहकारी समिति द्वारा चलाने का प्रस्ताव हो।

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner